

योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर कन्या विवाह हेतु आर्थिक मदद पहुँचाना आदि प्रमुख कार्य हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान घेराबंदी योजनाओं का कार्यान्वयन एवं अन्य छोटे मोटे कार्य भी इस कार्यालय द्वारा सम्पादित किये गये थे।

- (iv) वित्तीय स्रोत – इस कार्यालय का वित्तीय स्रोत एक मात्र सरकारी आवंटन के विरुद्ध निकासी था।
- (v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – जिला कोषागार, कटिहार के अभिलेखों से शत-प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।
- (vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसका अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया।
- (vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति – पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन के लिए अंकेक्षण के अनुरोध के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। फलतः अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

- (i) आवंटन की स्थिति – क्या आवंटन से अधिक निकासी की गयी है – नहीं

आवंटन एवं व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 “ख” द्रष्टव्य। आवंटन की शेष राशि प्रत्यार्पित।

- (ii) अनुदान की स्थिति – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया – नहीं
- (iii) प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – कुल राशि आवंटन के माध्यम से प्राप्त था, किन्तु इस कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रखंडों, संस्थानों (राज्य से बाहर सहित) एवं कॉलेजों को तथा कुछ अन्य मदों का प्रेषित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (छात्रवृत्ति मद में) प्राप्त एवं प्रेषित नहीं था।
- (iv) संवरण शेष की स्थिति :- वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम तिथि 31.3.10 को सामान्य रोकड़ पंजी का संवरण शेष 4,49,60,695.49 रु० पाया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतिम तिथि 31.3.2011 को सा०

रो० पंजी का संवरण शेष 14,15,14,324.49 रु० पाया गया, जिसकी विस्तृत विवरणी रोकड पुस्त में

1



बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० – 71/2014-15

1. परिचयात्मक –

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला कल्याण कार्यालय कटिहार (स्थापना एवं अन्य मद)

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2009-10 एवं 2010-11

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा० का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

(i) श्री जगन्नाथ मंडल, उप निदेशक, कल्याण पूर्णिया प्रमंडल

दि० – 14.2.09 से 03.12.2011 तक

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम एवं कार्यकाल–

(i) जिला कल्याण पदाधिकारी :-

(ii) श्री रणधीर कुमार वर्मा, जि० कल्याण पदा० – 15.10.2008 से 19.7.2011 तक।

(iii) प्रधान लिपिक :-

(i) श्री गोपाल पासवान – 01.04.09 से 15.11.2011 तक

(ii) रोकड़पाल :-

(1) श्री कुमार कौशल – 01.04.2009 से 30.10.2010 तक

			12.	अभिश्चव	—	17,23,173.30
			13.	नगद राशि	—	3,245.04
	योग —	14,15,14,329.49				

- (v) रोकड़ का भौतिक सत्यापन — विभागीय पत्रांक 503 दि०-29.1.76 के निदेशानुसार रोकड़ का भौतिक सत्यापन आपत्तिनिर्गत करने के बावजूद अंकेक्षण समापन तिथि तक नहीं कराया गया, इस संबंध में वांछित अभिलेख यथा विभिन्न बैंकों में स्थित लेखाओं का अद्यतन बैंक विवरण के लिए अनुरोध किया गया परंतु अद्यतन बैंक विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण रोकड़ का भौतिक सत्यापन करना संभव नहीं हो सका। सा० रो० पंजी में अंकेक्षण प्रा० तिथि 7.8.2013 को रोकड़ का प्रारंभण शेष रू० 36,28,83175.49 का जिसकी विस्तृत विवरण रोकड़ पुस्त में अंकित नहीं था।

पुनः संवरण शेष का बैंक वार एवं जमा की विवरणी प्रस्तुत किया गया जो निम्न रूपेण था :-

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक, कटिहार	10984646314	2,40,92,020.78
2.	कोशी क्षेत्रीय ग्रा० बैंक, कटिहार	20060000016	3,82,976.00
3.	सेंट्रल बैंक, रेलवे कॉलोनी, कटिहार	10130	38,956.00
4.	सेंट्रल बैंक, कटिहार	29735	5,72,040.00
5.	आई०डी०बी०आई०, कटिहार	7201040000— 34663	17,91,21,454.00
6.	पी०एन०बी०, एम०जी० रोड, कटिहार	20820021000— 27394	1,73,300.00
7.	„ „ दौलत राम चौक, कटिहार	19680021000— 12037	73,761.00
8.	बैंक ऑफ बड़ौदा, कटिहार	2912010000 7230	9186.00
9.	इलाहाबाद बैंक, कटिहार	300608	17,16,231.70

10.	" " " "	4744	9,29,224.00
11.	" " " "	4743	5,06,675.00
12.	एक्सिस बैंक, कटिहार	9110100428 72209	39,86,355.00
13.	" "	91202001038 7621	13,42,57,840.00
14.	ऑरियंटल बैंक ऑफ, कॉमर्स, कटिहार	14332011000896	23,53,551.00
15.	अग्रिम	—	97,22,183.67
16.	अभिश्चव	—	48,63,805.30
17.	नगद	—	83,616.04

योग — 36,28,83,175.49

रोकड़ का भौतिक सत्यान नहीं कराने की जाँच हेतु उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जाँचोपरान्त रोकड़ की भौतिक स्थिति एवं फलाफल से वित्त (अं०) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

इस कार्यालय में स्वीकृत एवं कार्यालय बलों हेतु किसी अभिलेख का संधारण नहीं किया गया, जिससे वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी कार्यालय द्वारा स्वीकृत बलों के विरुद्ध कार्यरत बल कम बतलाया गया साथ उनके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की सूची निम्न प्रकार है :-

(क) जिला कल्याण कार्यालय (स्थापना)

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1.	जिला कल्याण पदा०	01	01	—	
2.	प्रखंड कल्याण पदा०	16	09	07	
3.	प्रधान लिपिक	01	01	—	

4.	लिपिक	04	04	—	
5.	सांख्यिकी सहायक	01	01	—	
6.	टंकक	01	01	—	
7.	जीप चालक	01	—	01	
8.	ग्रेन गोला चौकीदार	09	05	04	
9.	अनुसेवक	02	01	01	

(ख) राजकीय अनु० जाति आ० उ० विद्यालय सोनैली, कटिहार –

1.	प्रधानाध्यापक	01	01	—	
2.	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	09	06	03	
3.	मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक	07	03	04	
4.	लिपिक	01	—	01	
5.	रात्रि प्रहरी	01	—	01	
6.	अनुसेवक	03	—	03	
7.	रसोइया सह सेवक	04	01	03	

(ग) राजकीय अनुसूचित जनजाति आ०उ०वि० नीमा, कटिहार

1.	प्रधानाध्यापक	01	01	—	
2.	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	09	02	07	
3.	मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक	07	01	06	
4.	लिपिक	01	—	01	
5.	अनुसेवक	03	03	—	
6.	रसोइया सह सेवक	04	03	01	
7.	रात्रि प्रहरी	01	—	01	

(घ) छात्रावासों में कार्यरत कर्मी –

(1)	रसोइया (अनु०जाति छात्रावास)	08	02	06
(2)	.. (अनु०जाति छात्रावास)	07	02	05
(3)	.. (पिछड़ी जाति छात्रावास)	02	02	—

(ङ) जूट की टाट बुनाई एवं सुत की कटाई केन्द्र, कटिहार

(1)	व्यवस्थापक	01	01	—
(2)	बुनाई मिस्त्री	01	01	—
(3)	रात्रि प्रहरी	01	01	—

(च) सिलाई-कटाई केन्द्र, कटिहार

(1)	वरीय अनुदेशक	01	—	01
(2)	दक्ष शिल्पी	01	01	—
(3)	रात्रि प्रहरी	01	01	—

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि कई पद रिक्त है, उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ताकि कल्याणकारी कार्य बाधित न हो।

भाग - 2

(5) माडा योजना मद में रू० 3,74,000 + 30600.00 = 4,04,600.00 का संभावित दुर्विनियोग –

(क) माडा योजनान्तर्गत आयोत्पादक योजना मद में दुधारू गायों एवं बैलों के अभिश्रवों एवं प्रस्तुत वितरण पंजी की जाँच में पाया गया कि विभिन्न प्रखण्डों के लिए वर्ष 09-10 एवं 2010-11 में दुधारू गायों एवं बैलों की खरीद की गयी। कुछ प्रखण्डों में क्रय की गयी गायों एवं बैलों का वितरण से सम्बंधित प्रमाण नहीं पाया गया, जिसका विस्तृत विवरणी निम्न है :-

क्र० सं०	प्रखंडों के नाम	अभिश्चवों के अनुसार गाय/बैलों की सं०		वितरण पंजी के अनुसार गाय एवं बैलों का वितरण		अंतर	
		गाय	जोड़ा बैल	गाय	जोड़ा बैल	गाय	जोड़ा बैल
1.	बरारी	72	—	65	—	07	—
2.	कदवा	80	01	77	—	03	01
3.	आजम नगर	33	—	31	—	02	—
4.	प्राणपुर	56	04	55	—	01	04
5.	डंडखोरा	37	05	36	—	01	05
6.	मनिहारी	90	06	89	—	01	06
		368	16	353	—	15	16

इस प्रकार विभिन्न प्रखण्डों में 15 दुधारु गाय एवं 16 जोड़ा बैल का वितरण प्रस्तुत वितरण पंजी में नहीं पाया गया।

प्रति गाय रू० 16400.00 एवं प्रति जोड़ा बैल रू० 8000.00 की दर से खरीद की गयी थी।

अर्थात् 15 गाय x 16400.00 = 2,46,000.00

16 जोड़ा बैल x 8000.00 = 1,28,000.00

3,74,000.00 रू०

इस सम्बंध में निर्गत की गयी आपत्ति के आलोक में न तो कोई संतोषप्रद जबाब दिया गया और न ही वितरण से सम्बंधित प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया। इससे ऐसा लगता है कि गाय की खरीद न कर अभिश्चव बना लिया गया और रू० 3,74,000.00 का दुरुपयोग कर लिया गया।

(ख) रू० 30,600.00 का बीमा मद में अनियमित भुगतान संभावित दुर्विनियोग —

माडा योजनान्तर्गत स० रो० पुस्त एवं अभिश्चवों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल 638 ग्राम एवं 9 जोड़ा बैल की खरीद की गयी थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य जिसके संबंध में प्रति गाय 400.00 रू० एवं प्रति जोड़ा बैल 200.00 रू० की दर से कुल रू० 2,57,000.00 रू० का भुगतान आपूर्तिकर्ता को बीमा प्रीमियम के रूप में किया गया था। चूँकि आपूर्तिकर्ता को ही गाय एवं बैल का बीमा कराना था। आपूर्तिकर्ता ने यूनाइटेड

इंश्योरेस क० का अभिश्रव दिया परंतु उसमें बैंक पदाधिकारी का प्राप्तकर्ता के रूप में हस्ताक्षर न होकर आपूर्तिकर्ता (मवेशी का) का हस्ताक्षर था। बीमा कम्पनी द्वारा इस सम्बंध में गाय एवं बैल से सम्बंधी बीमा का हस्तावेज दिया गया था उसे कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसमें 638 गाय एवं 9 जोड़ा बैल के विरुद्ध 566 गाय का ही दस्तावेज प्राप्त हो सका। आपत्तिनिर्गत करने के बावजूद भी न तो इसका स्पष्ट जवाब दिया गया और न ही 72 गाय एवं 9 जोड़ा बैल (638 गाय एवं 9 जोड़ा बैल - 566 गाय) के इंश्योरेस से सम्बंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। ऐसा लगता है कि उक्त गाय एवं बैल का बीमा न कर अभिश्रव बनाकर राशि की निकासी कर ली गयी।

72 गाय एवं 9 जोड़ा बैल के लिए बीमा मद में कुल 30600.00 रु० अर्थात्

$$72 \text{ गाय} \times 400.00 = 28800.00$$

$$9 \text{ जोड़ा बैल} \times 200.00 = 1800.00$$

30,600.00

अधिक भुगतान अभिश्रव बनाकर दर्शाया गया जो कि संभावित दुर्विनियोग का मामला बनता है। प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इसकी जाँच कर अंकेक्षण से सहमती होने पर सम्बंधित दोषी व्यक्ति से राशि वसूल की जाय तथा अपेक्षितकी गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

अतः उपर्युक्त उपकंडिका "क" एवं "ख" में अंकित क्रमशः रु० 3,74,000.00 एवं 30,600.00 कुल रु०-4,04,600.00 के संभावित दुर्विनियोग के विरुद्ध तत्काल इसे संभावित दुर्विनियोग की श्रेणी में रखा जाता है।

(6) रु० 34534.00 + रु० 21953.00 + 82000.00=138487.00 का संभावित दुर्विनियोग -

(क) रा० अनु० जनजाति आ० उ० वि० नीमा में विपत्र सं० 143/10-11 द्वारा अभिश्रव सं० 108 से 126 तक एवं 139 से 145 तक कुल 26 छात्रों को चिकित्सा पर कुल रु० 34,534.00 का भुगतान दर्शाकर व्यय किया गया (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "घ" पर द्रष्टव्य) जबकि बिहार सरकार कल्याण विभाग पत्र सं०- /विविध -10/2006-347 दि० 2.3.2007 के अनुसार आवासीय विद्यालय के छात्रों को एक साल में 10 माह के लिए 100 रु० प्रति छात्र की दर से राशि का व्यय करना था। इस तरह प्रति छात्र

100.00 रु० की दर से प्रति माह 26 छात्रों पर 2600.00 रु० (100.00X26) का भुगतान किया जाना चाहिए था।

साथ ही नीमा में अतिरिक्त प्राथमिक स्था० केन्द्र एवं 7 कि० मी० की दूरी पर रेफरल अस्पताल भी है जहाँ बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क दवा एवं अन्य चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसे नजर अंदाज कर 40 कि०मी० दूर कटिहार में निजी चिकित्सा (डा० सौरभ सांखिया) के पूर्जा पर एक ही मेडिकल की दुकान (महावीर मेडिकल, कटिहार से सभी छात्रों का दवा खरीदा गया, संदेहास्पद एवं जॉच का विषय है।

इस सम्बंध में आपत्तिनिर्गत करने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सत्यापन कर वसूली योग्य राशि सम्बंधित छात्रावास अधीक्षक से वसूल कर ली जायेगी।

- (ख) अनु० जाति आ० उ० वि० सोनैली के अभिश्रवों के जॉच में पाया गया कि विपत्र सं० 110/09-10 के तहत कुल 24 छात्रों के लिए अभिश्रव सं० 58 से 81 तक दवा खरीद से सम्बंधित अभिश्रव छात्रावास अधीक्षक द्वारा बनाया गया एवं प्रधानाध्यापक द्वारा पारित किया गया था, जिसकी कुल राशि रु० 21,953.00 रु० है (परिशिष्ट "ड" पर विवरणी दी गयी है।

उपरोक्त सभी अभिश्रव एक आर०एम०पी० डाक्टर के पूर्जे पर एक ही दवा दुकान मोहन मेडिकोज, सोनैली से खरीदा गया। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनैली को जान बुझकर नजर-अंदाज किया गया जहाँ मुफ्त डॉक्टर, दवा, एंबुलेंस एवं जेनरेटर की सुविधा उपलब्ध है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सा मद में प्राप्त राशि का काल्पनिक अभिश्रव तैयार किया जाता है और उसे पारित भी किया जाता है।

- (ग) माडा योजनान्तर्गत रु० 82,000.00 की गाय क्रय पर आधारहीन भुगतान संभावित दुविनियोग—

माडा योजनान्तर्गत आयोत्पादक मद में गाय की खरीद से सम्बंधित अभिश्रव एवं प्रस्तुत वितरण पंजी एवं स्वीकृत सूची की जॉच में पाया गया कि प्राणपुर प्रखंड में 55 गायों की खरीद श्री विकास कुमार प्राणपुर से अभिश्रव सं० 113864/16.8.10, 113864/16.8.10 एवं 114056/25.2.11 के द्वारा हुई। प्राणपुर प्रखंड में 55 लाभुकों को गाय का वितरण किया गया था, जबकि दी गयी स्वीकृत सूची के अनुसार 50 लाभुकों को ही गाय का वितरण किया जाना था, इस प्रकार 55-50 =5 लाभुकों को

स्वीकृत सूची से बाहर व्यक्तियों को गाय का वितरण किया गया। स्वीकृत सूची से बाहर व्यक्तियों का नाम निम्न है जिसे गाय का वितरण दिखाया गया है :-

- (i) चुनका सोरेन पिता वासुकी सोरेन
- (ii) मो० तालामीय मूर्म पति स्व० इतवारी दूडू
- (iii) विजय मरांडी पिता स्व० वटल मरांडी
- (iv) लालमुनी देवी पति हरिलाल उरॉव
- (v) शान्ती देवी „ स्व० सीता राम उरॉव

आपत्तिनिर्गत करने पर कार्यालय द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया कि आतिरिक्त 5 व्यक्ति (स्वीकृत सूची से बाहर) को गाय का वितरण किस आधार पर किया गया।

बीमा सहित प्रति गाय की कीमत रु० 16400.00 थी इस प्रकार 5 गाय x 16400.00 रु० = 82,000.00 रु० की खरीद पर अनियमित भुगतान किया जाना संभावित दुर्विनियोग प्रतीत होता है। अतः उपकंडिका क, ख एवं ग में अंकित राशि क्रमशः रु० 34534.00+21,953.00+82000.00 कुल रु० 1,38,487.00 के भुगतान के विरुद्ध प्रशासी विभाग द्वारा अंकेक्षण द्वारा विर्णित तथ्यों के आलोक में वास्तविकता की जाँच कर तदनुसार कार्रवाई की जाय। कुल रु० 1,38,487.00 को संभावित दुर्विनियोग की श्रेणी में रखा जाता है। की गयी कार्रवाई एवं अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(7) रु० 1500.00 परिवहन (ढुलाई) मद में व्यय वसुली योग्य :-

- (क) आवासीय विद्यालय स० रो० पु० में अनु० जन० जाति आ० उ० वि० नीमा के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि दिनांक- 31.7.09 को मो० हजरत द्वारा 100 क्विंटल जलावन लकड़ी की आपूर्ति विद्यालय में की गयी जिसका भुगतान आपूर्तिकर्ता को अभिश्रव सं० 348 द्वारा 35000.00 रु० कर दिया गया। आपूर्तिकर्ता को लकड़ी की आपूर्ति विद्यालय में करना था तथा लकड़ी की कीमत में ही भाड़ा सम्मिलित था।

उसी तिथि को अभिश्रव सं० 354 द्वारा रू० 1000.00 का भुगतान परिवहन ढुलाई मद में मो० निजामुद्दीन को 100 क्विंटल जलावन लकड़ी का भुगतान किया गया।

- (ख) इसी प्रकार अभिश्रव सं० 301 द्वारा दिनांक 27.8.2009 को आ० उ० वि० नीमा में 25 क्विंटल जलावन लकड़ी मो० हजरत द्वारा विद्यालय में आपूर्ति के पश्चात अभिश्रव सं० 309 द्वारा उक्त तिथि (27.8.09) को उपरोक्त जलावन लकड़ी हेतु रू० 500.00 ढुलाई मद में व्यय दर्शाया गया जबकि लकड़ी की आपूर्ति ढुलाई सहित था।

इस सम्बंध में आपत्ति निर्गत करने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि राशि जमा करने हेतु कार्रवाई की जा रही परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक राशि जमा नहीं की गयी।

अतः रू० 1000.00+500.00=1500.00 रू० सम्बंधित दोषी व्यक्ति से वसूल किया जाय एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(8) रू० 400.00 वसूली योग्य :-

आवासीय विद्यालय सं० रोकड़ पुस्त में भुगतित राशि की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं० 119/09-10 द्वारा दिनांक- 4.3.10 को अभिश्रव सं० 155 दि०- अंकित नहीं द्वारा चंदन सापटटीच कम्प्यूटर को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 240 छात्रों को 50 रू० प्रति छात्र की दर से 12400.00 रू० का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा कर दिया गया। उपरोक्त अभिश्रव को जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी पाया गया।

जबकि वास्तव में गणना किये जाने पर 240 छात्रों को 50 रू० की दर से 12000.00 रू० ही भुगतान किया जाना चाहिए था, इस प्रकार 12400.00 रू० - 12000.00 रू० =400.00 का भुगतान कम्प्यूटर शिक्षण मद में कर दिया गया तथा रोकड़ पुस्त व्यय पक्ष में अंकित किया गया था।

सम्बंधित दोषी व्यक्ति से राशि वसूल कर कोषागार में चालान द्वारा सम्बंधित शीर्ष में जमाकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(9) स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान के फलस्वरूप रू० 1200.00 वसूली योग्य :-

आवासीय विद्यालय सं० १० पुस्त में रा० अनु० जाति आ० उ० वि० सोनैली के अभिश्रवों की जाँच क्रम में पाया गया कि विपत्र सं० 110/09-10 द्वारा अभिश्रव सं० 52 द्वारा 75 ली० किरासन तेल क्रय

हेतु 28.00 रु० प्रति लिटर की दर से कुल की दर से कुल 2100.00 रु० भुगतान एवं व्यय अंकित किया पाया गया, जबकि सरकारी दर 12.00 रु० प्रति लीटर स्वीकृत है। 12.00 रु० प्रति लीटर की दर से 75 लीटर किरासन तेल का खरीद मूल्य 900 रु० होता है। इस प्रकार 2100.00-900.00 =1200.00 रु० का भुगतान स्वीकृत मूल्य से अधिक दर पर भुगतान कर किया गया जो उचित नहीं है। साथ ही उपरोक्त क्रय जनवितरण प्रणाली विक्रेता के रसीद पर नहीं कर सादे कागज पर अभिश्रव बनाकर किया गया पाया गया।

अतः सम्बंधित दोषी व्यक्ति से 1200.00 रु० वसूल किया जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी सूचित किया जाय।

(10) रु० 1138.00 वसूली योग्य :-

रा० अनु० जनजाति आ० उ० वि० नीमी के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि दि०-29.01.2011 को विपत्र सं० 143/10-11 अभिश्रव सं० 110/- द्वारा चिकित्सा हेतु दवा मद में छात्र अरुण कुमार मंडल पर रु० 1138.00 व्यय किया पाया गया, परंतु विद्यालय छात्रावास उपस्थिति पंजी की जाँच में उपरोक्त छात्र का नाम अंकित नहीं पाया गया।

ऐसा लगता है कि काल्पनिक अभिश्रव बनाकर भुगतान किया गया। आपत्तिनिर्गत करने पर कार्यालय द्वारा जबाव दिया गया कि तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक से राशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः सम्बंधित दोषी व्यक्ति से उपरोक्त राशि की वसूली करते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग, पटना को अवगत किया जाय।

(11) रु० 22859.00 टी०डी०एस० के रूप में आयकर मद में कम कटौती राजस्व की क्षति :-

(क) श्री शंभूनाथ झा, सांख्यिकी सहायक द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयकर अनुसूची में कर योग्य आय रु० 2,73,516.00 दर्शाया गया है तथा धारा 80C के अंतर्गत अंशदान एवं अध्यागियों में कटौती के रूप में सा० भ० नि० एवं ग्रुप बीमा मद में कुल रु० 48620.00 एवं शिक्षण शुल्क के रूप में 83,980.00 रु० का दावा कर कुल रु० 1,00,000.00 (अधिकतम) की कटौती की गयी है। संलग्न शिक्षण शुल्क की प्राप्ति रसीद की जाँच से स्पष्ट होता है कि उसमें शिक्षण शुल्क न होकर विद्यालय की बस किराया

प्रवेश शुल्क वार्षिक शुल्क एवं छात्रावास आदि में व्यय की गयी प्राप्ति रसीद है जो आयकर नियम के अनुसार मान्य नहीं है। विवरणी परिशिष्ट "च"

अतः धारा 80C के अंतर्गत 1,00,000.00 रु० छूट के स्थान पर मात्र 48620.00 रु० की छूट ही अनुमान्य होगा। इस तरह रु० 1,00,000.00—48620.00=51380 रु० पर छूट मान्य नहीं है।

फलतः श्री झा का कर योग्य आय रु० 3,24,896.00 (2,73516.00+51,380.00) या 3,24,900.00 होता है एवं इस पर आयकर की कुल राशि रु० 16,985.00 रु० होता है, जबकि श्री झा के वेतन विपत्र सं० 183/10—11 द्वारा आयकर के रूप में 11693.00 रु० ही कटौती पाई गई। आयकर की शेष राशि रु० 16985.00 — 11693.00=5292.00 रु० कम आयकर टी० डी० एस० के रूप में निकासी एवं व्ययन पदा० द्वारा काटा गया।

अतः स्पष्ट है कि श्री झा से रु० 5291.00 रु० वसूल कर आयकर विभाग में जमा किया गया।

(ख) रु० 17567.00 टी० डी० एस० के रूप में आयकर की कम कटौती :-

श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, बी० डब्ल्यू ओ० द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 के आयकर विवरणी में कर योग्य आय रु० 1,50214.00 (सकल आय रु० 1,69,440.00) दर्शाया गया है जबकि उपरोक्त सकल आय में उक्त वित्तीय वर्ष में निकासी की गयी बकाया राशि को नहीं जोड़ा गया है जो निम्न है।

(i) जनवरी 07 से दिसम्बर 10 तक — बकाया वेतन — विपत्र सं० 196/10—11 — 1,76,842.00

(ii) जून 09 से फरवरी 10 तक — " " 70/ " — 1,04,424.00

2,81,266.00

इस प्रकार इनका सम्बंधित वित्तीय वर्ष में कुल सकल आय रु० (1,69,440.00 + 2,81,266.00) रु० — 4,50,706.00 रु० होता है, जिस पर म० कि० भत्ता 5366.00 + 80C के अंतर्गत अंशदान रु० 13,860.00 (कुल 19,226.00) घटाने के बाद कर योग्य आय 4,31,480.00 रु० होता है। इस पर आयकर रु०

27,148.00 + सरचार्ज 3% = 814.00 = 27,962.00 रु० होता है। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट "छ" द्रष्टव्य।

श्री श्रीवास्तव द्वारा विपत्र सं० 196/10-11 (बकाया वेतन) द्वारा रु० 10,395.00 आयकर अग्रिम कटाया गया। इस तरह कुल आयकर 27962.00 रु० - 10395.00 रु० = 17567.00 रु० कम आयकर की कटौती की गयी।

इस तरह श्री झा से रु० 5292.00 एवं श्री अरविन्द कु० श्रीवास्तव से रु० 17567.00 = 22859.00 आयकर के रूप में राजस्व की क्षति की वसुली कर विभाग में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(12) अस्थायी भविष्य निधि अग्रिम मद में रु० 25,672.00 रु० असामायोजित।

सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, कटिहार के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री विनय कुमार बख्शी, दक्ष शिल्पी को अस्थायी भविष्य निधि अग्रिम रु० 35,000.00 की निकासी विपत्र सं० 78/2008-09 से कार्यालय आदेश झापांक 742 दिनांक-09.09.2008 द्वारा की गयी थी। उपरोक्त अग्रिम की कटौती रु० 583.00 प्रति माह की दर से 60 (साठ) बराबर किस्तों में किया जाना था। यह कटौती अक्टूबर 2008 के वेतन से प्रा० किया गया एवं माह अप्रील 2010 तक 16 किस्तों की कटौती अद्यतन तक नहीं किया पाया गया।

इस प्रकार 583.00×16 किस्त = 9328.00 रु० की ही कटौती वेतन से कर अ० भ० नि० खाता में जमा किया गया। शेष राशि रु० 35000.00 - रु० 9328.00 = 25,672.00 रु० की कटौती कर जमा नहीं किया गया।

अतः श्री बख्शी से रु० 25,672.00 की समायोजन कर तथा भविष्य निधि मद में जमाकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(13) रु० 3000.00 यात्रा भत्ता मद में अनियमित भुगतान, पूर्ण जाँच तक आपत्तिअर्न्तगत :-

शीर्ष यात्रा भत्ता भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री सरयुग प्रासाद ठाकुर, प्र० अ० रा० अनु० जाति आ० उ० वि० सो नैली को यात्रा भत्ता मद में अप्रील 2010 से अगस्त 2010 से अगस्त

2010 तक का कुल रू0 3000.00 का भुगतान दिनांक-31.3.2011 को किया गया जो कि विपत्र सं0 208/2010-11 के द्वारा निकासी की गयी थी।

उपरोक्त भुगतान से सम्बंधित दैनन्दिनी की जॉच में पाया गया कि उक्त दैनन्दिनी उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं था। उच्चाधिकारी द्वारा दैनन्दिनी बिना अनुमोदन के ही यात्रा भत्ता का भुगतान कर दिया गया। जो कि अनियमित है साथ ही यात्रा से सम्बंधित कोई आदेश पत्र नहीं दिखाया गया ताकि मात्रा का प्रयोजन का पता चले। आपत्तिनिर्गत करने के बाद कार्यालय का जबाब था कि विपत्र का अनुमोदन परांत ही विपत्र पारित किया गया है जबकि जॉच में पाया गया कि दैनन्दिनी अनुमोदित नहीं था।

अतः उक्त स्थिति में यात्रा के सम्बन्ध में पूर्व अनुमोदन एवं भुगतान के संबंध में प्रशासी विभा जॉच करें एवं फलाफल से वित्त (अं0) विभाग बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

अंकेक्षण से सहमति की स्थिति में दोषी/संबंधित व्यक्ति से रू0 3000.00 वसूली योग्य होगी।

(14) अग्रिम की राशि रू0 15,83,813.00 समायोजन हेतु लम्बित :-

इस कार्यालय के अस्थायी अग्रिम पंजी की जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर्मियों को विभिन्न अवधि में अग्रिम दिया गया था। इस अग्रिम की वसूली अथवा समायोजन की दिशा में कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, जो बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम-317 एवं 318 के विपरित है। जबकि लंबी अवधि तक अग्रिम की वसूली/समायोजन नहीं होने से राशि के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है तथा सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरित होने के उपरांत वसूली भी कठिन हो जाता है। अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दिनांक- 7.8.2013 तक कुल अग्रिम की राशि रू0 97,22,183.67 थी। जिसका विवरण परिशिष्ट "च" पर द्रष्टव्य है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में असमायोजित अग्रिम का विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	अग्रिम प्राप्त कर्ता	अवधि	प्रयोजन	राशि
1.	श्री सुधीर कुमार, स0 शिक्षक	09-10 में	छात्रावास संचालन हेतु	15,65,615.00
2.	„ देवेन्द्र कुमार झा, प्र0 क0 पदा0	2010 में	„ „	18,298.00

योग - 15,83,913.00

इस प्रकार कुल अग्रिम का विवरण निम्न है :-

(i)	वित्तीय वर्ष 09-10 एवं 10-11 में असमायोजित अग्रिम	—	15,83,913.00
(ii)	दिनांक-01.04.2009 से पूर्व का		— 31,30,560.67
(iii)	दिनांक-01.4.2011 से 06.08.2013 तक		— <u>50,07,710.00</u>

कुल योग — 97,22,183.67

अतः वर्ष 09-10 एवं 10-11 में लंबित आसमायोजित अग्रिम की कुल राशि रु0 15,83,913.00 सम्बंधित व्यक्तियों से अभिश्रव प्राप्त कर समायोजन किया जाय अन्यथा की स्थिति में वसूली कर दिये गए अस्थायी अग्रिम का समायोजन किया जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय। साथ ही साथ प्रशासी विभाग अपने स्तर से अंकेक्षण अवधि के पूर्व तथा बाद की अग्रिम राशि का समायोजन कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए।

(15) अव्यवहृत राशि रु0 15,17,719.26 कोषागार में जमा का सुझाव :-

(क) रु0 15,06,452.00 कोषागार में जमा का सुझाव :-

बिहार सरकार के वित्त विभाग के पत्रांक 3.10.20 (88) — 6542 दिनांक 12.9.88 तथा कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 107 (3) के आलोक में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दिनांक-07.08.2013 के संवरण शेषों की विस्तृत जाँच के क्रम में पाया गया कि पिछले कई वित्तीय वर्ष से (दिनांक-01.04.2009 से भी पूर्व से) विभिन्न शीर्षों से सम्बंधित सहायक रोकड़ पुस्त में कुल रु0 15,06,452.00 अवशेष चला आ रहा है। कुछ राशि ऐसी भी है जिससे सम्बंधित कार्य इस कार्यालय द्वारा किया जाना बंद हो गया है। बिना किसी औचित्य के रोकड़ के संवरण शेष में अनावश्यक राशि रखी जाना बिहार कोषागार संहिता भाग-1 वर्ष 2011 के नियम 176 एवं 177 के विरुद्ध है। साथ ही इतनी बड़ी राशि के अनावश्यक रूप से रखे रहने के फलस्वरूप इसके दुर्विनियोग/विचलन की आशंका बनी रहती है।

उपरोक्त राशि का विस्तृत विवरण निम्न है :-

क्र०सं०	स० रोकड़ पुस्त	राशि
(i)	पुरक पोषाहार एवं भवन निर्माण स० रोकड़ पुस्त	7,09,724.00
(ii)	पिछडी जाति गृह निर्माण एवं ऋण	7,96,428.00
(iii)	विकलांग स० रो० पुस्त (दि० 01.04.10 को विद्यालय छात्रवृत्ति स० रो० पुस्त में हस्तांतरित)	300.00
		15,06,452.00

ज्ञातव्य हो कि आपत्ति निर्गत करने पर उसके अनुपालन में जमा किये जाने की कार्यवाई किये जाने की सूचना दी गयी।

(ख) रू० 11,267.26 कोषागार में जमा करने योग्य :-

अम्बेडकर आ० उ० नि० सोनैली में प्रधानाध्यापक के नाम से संचालित बचत खाता (SB9 A/C NO - 10984653478) जो छात्रावास अग्रिम से संबंधित है में अवशेष राशि रू० 6205.00 पाया गया जो लंबी अवधि से पड़ी हुई पायी गयी। चूँकि छात्रावास संचालन वर्तमान में जिला कल्याण कार्यालय कटिहार से निर्गत की जाती है और इससे संबंधित लेखा का संधारण भी जिला कल्याण कार्यालय में ही किया जाता है। अतः वर्षों से खाता में संधारित राशि जो 31.12.2013 तक 6205.00 रू० पाई गई को कोषागार में चालान द्वारा सम्बंधित शीर्ष में जमा किया जाय। इससे सम्बंधित निर्गत आपत्ति के अनुपालन में पत्राचार करने की बात कही गयी है।

साथ ही विद्यालय द्वारा संधारित रोकड़ पुस्त में दिनांक 4.12.09 तक अंतः शेष के रूप में 5062.26 पाया गया। उपरोक्त विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदा० का प्रभार जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.09 को ग्रहण कर लिया, तब से रोकड़ पुस्त में संधारित राशि 5062.26 रू० अनावश्यक रूप से पड़ी हुई है, जिसे संगत शीर्ष में जमा किया जाय।

इस प्रकार रू० 15,06,452.00 + 11267.26 (6205.00+5062.26) =रू० 1517719.26 को कोषागार में चालान द्वारा जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(16) रू० 4,54,797.00 सूद की राशि जमा करने योग्य :-

ब्याज (सूद) से सम्बंधित उपलब्ध अभिलेखों यथा बैंक पासबुक एवं अन्य की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि वर्ष 9-10 से 10-11 में कुल सूद की राशि विभिन्न बैंकों में रू० 4,54,797.00 पायी

गयी। इस सम्बंध में स्पष्ट है कि सूद से सम्बंधित किसी भी प्रकार का सूद पंजी या सूद सहायक रोकड़ पुस्त का संधारण नहीं किया गया था, इससे सम्बंधित अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत की गयी थी, परंतु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक किसी भी प्रकार का सूद से सम्बंधित पंजी संधारित कर नहीं दिखाया गया। फलतः दिनांक 01.04.2009 से पूर्व का सूद की गणना नहीं की जा सकी। वर्ष 9-10 एवं 10-11 में सूद की राशि का विवरण निम्न है :-

(i) वित्तीय वर्ष 09-10 एवं 10-11 में — 4,54,797.00

4,54,797.00

विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' द्रष्टव्य है।

उपर्युक्त राशि अनावश्यक रूप से खाता में रहने से दुर्विनियोग/विचलन की संभावना बनी रहती है। नियमानुसार सूद की राशि का व्यय भी नहीं किया जा सकता है चूँकि अभिलेख के अभाव में दिनांक 01.04.2009 से पूर्व का सूद की गणना नहीं की जा सकी।

अतः रू0 4,54,797.00 अर्जित सूद की राशि संगत शीर्ष में जमा किया जाय एवं दिनांक 01.04.2009 से पूर्व अर्जित सूद की गणना कर तथा जमाकर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को सूचित किया जाय। प्राप्त राशि की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में निश्चित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(17) स्वयं सहायता समूहों को राशि रू0 7,50,000.00 भुगतान आपत्तिअंतर्गत :-

माडा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कदवा प्रखंड के दो स्वयं सहायता समूहों यथा अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह, दुर्गागंज कहवा एवं सरोजनी स्वयं सहायता समूह दुर्गागंज कदवा को क्रमशः रू0 3,90,000.00 एवं रू0 3,60,000.00 अर्थात् कुल रू0 7,50,000.00 अनुदान के रूप में भुगतान किया पाया गया।

माडा योजनान्तर्गत जनजातियों के उक्त समूहों का चयन ग्राम सभा में होनी चाहिए साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में भी समूह निबंधित होनी चाहिए, परंतु न तो ग्राम सभा द्वारा चयन का एवं जि० ग्रा० वि० अभिकरण द्वारा दिया गया निबंधन संख्या ही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

स्वयं सहायता समूहों के लिए अनुदान परियोजना लागत के 50% क बराबर ही दी जाती है जो 1.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि इस सम्बंध में दोनो स्वयं सहायता समूहों को अनुदान के रूप में पूर्ण परियोजना राशि विमुक्त कर दिया गया। अनुदान में दी गयी राशियों के विरुद्ध उपलब्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र भी असंतोषजनक पाया गया।

इस प्रकार आपत्ति निर्गत करने के बावजूद भी स्वयं सहायता समूहों को अनुदान किस प्रावधान के तहत किया गया, अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया जा सका। प्रशासी विभाग द्वारा इस अनियमित भुगतान की जाँच की जाय, अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित दोषी व्यक्ति से रू0 7,50,000.00 वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय, साथ ही की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तबतक के लिए रू0 7,50,000.00 का भुगतान आपत्तिअंतर्गत रखा जाता है।

(18) यात्रा भत्ता मद में रू0 35,820.00 का भुगतान व्यय अभिलेखों के अभाव में आपत्तिअंतर्गत।

स्थापना सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 की अवधि में विभिन्न कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता मद में कुल रूपया 35,820.00 का भुगतान किया गया। इस भुगतान से सम्बंधित यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति दैनन्दिनी बार-बार अनुरोध के बावजूद भी अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया। सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ज" पर द्रष्टव्य है।

यात्रा भत्ता से सम्बंधित अभिलेखों के उपस्थापना नहीं किये जाने के फलस्वरूप रू0 35820.00 व्यय की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। निर्गत की गयी आपत्ति का अनुपालन नहीं किया जा सका। उक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि वरीय पदाधिकारी उपरोक्त वर्णित अभिलेख उपलब्ध कर वास्तविकता की जाँच कर ली जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तबतक के लिए यात्रा भत्ता व्यय की गई राशि रू0 35,820.00 आपत्तिअंतर्गत रखा जाता है।

(19) रू0 5,74,752.00 अनु0 जाति/जनजाति अत्याचार निवारण (प्रचार प्रसार) पर व्यय आपत्तिअंतर्गत।

विविध स0 रोकड़ पुस्त में अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण प्रचार/प्रसार हेतु लक्की इंटर प्राइजेज कटिहार को दिनांक-24.02.2011 को रू0 2,74,752.00 एवं दिनांक- 11.03.2011 को 3,00,000.00 रू0 कुल रू0 5,74,752.00 का भुगतान होर्डिंग लगाने हेतु व्यय किया पाया गया।

इस सम्बंध में आपत्तिनिर्गत करने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अनुपालित। परंतु इस सम्बंध में सम्बन्धित अभिलेख एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप व्यय की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। उपरोक्त होर्डिंग लगाने हेतु निविदा एवं कोटेशन निकाला गया था या नहीं अगर निकाला गया तो नियंत्री पदाधिकारी का स्वीकृतिपत्र प्राप्त था कि नहीं। उपरोक्त होर्डिंग किन-किन स्थानों पर लगाया गया। उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से प्राप्त कर भुगतान किया जाना था। उपरोक्त पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भुगतान किया गया था या नहीं।

उपरोक्त के सम्बंध में प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इसकी समुचित जाँच कर की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक उपरोक्त राशि रु0 5,74,752.00 को आपत्तिअंतर्गत रखा जाता है।

(20) अधिक ग्रेड पें में अनियमित वेतन भुगतान जॉचोपरान्त कारवाई का सुझाव :-

आ0 विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मियों के सेवा पुस्त की जाँच में पाया गया कि श्री विशो कुमार सिंह, सहायक, शिक्षक, अम्बेदकर आवासीय उच्च वि0 सोनैली का वेतनमान 5500-9000 में वेतन भुगतान किया जा रहा था। इन्हें प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन में प्रोन्नति दिनांक 12.11.06/1.11.06 को 7500-12000 में दिया गया एवं छठा वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में पें बैंड 9300-34800 में रखते हुए ग्रेड पें 5400/- दिया गया, जबकि प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन हेतु अगला वेतन 6500-10,500 दिया जाना चाहिए था तथा इस आधार पर इन्हें प्रोन्नत ग्रेड पें 4800.00 रु0 दिया जाना चाहिए।

साथ ही श्री सिंह ने 22.9.2002 को आयोजित हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, जबकि इन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान की तिथि के बाद से ही दे दी गयी। इस प्रकार का मामला और शिक्षकों के साथ भी हो सकता है अभिलेख के अभाव में उनकी जाँच नहीं की जा सकी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस हेतु आकृष्ट की जाता है कि अपने स्तर से इसकी समुचित जाँच कर सम्बन्धित व्यक्ति से अधिक ली गयी राशि की वसूली की जाय, साथ ही उनका वेतनमान भी सुधारा जाय तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी सूचित किया जाय।

(21) विभिन्न मदों का कुल रू0 29,23,79,773.00 प्रेषित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त राशि आपत्तिअंतर्गत :-

(क) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत कुल रू0 36,00,000.00 के आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त व्यय प्राप्त करने का सूझाव :-

रोकड़ पुस्त एवं संगत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रखंडों को कुल रू0 36,00,000.00 विभिन्न तिथियों को चेक द्वारा राशि आवंटित की गई थी परिशिष्ट "ट" में विस्तृत विवरण दर्ज है। व्ययोपरांत प्रखंडों द्वारा इस कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं पाया गया एवं इस दिशा में जिला कल्याण पदा0 द्वारा प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग की गयी, परंतु प्रखंडों द्वारा इसकी अनदेखी की गयी। फलतः उक्त राशि का वास्तविक व्यय हुआ अथवा नहीं सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है कि व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

विपरीत परिस्थिति में तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगी।

(ख) कब्रिस्तान घेराबंदी योजनान्तर्गत कुल रू0 27,60,65,177.00 के उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त, प्राप्त करने का सूझाव :-

रोकड़ पुस्त एवं संगत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण मद में कब्रिस्तान घेराबंदी योजनान्तर्गत विभिन्न प्रखंडों एवं अन्य कार्यालयों को विभिन्न तिथियों को चेक द्वारा कुल रू0 27,60,65,177 उपावंटित किया गया था जिसकी विवरणी परिशिष्ट "ठ" में दी गई है।

व्ययोपरांत प्रखंड एवं अन्य कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था, किन्तु ऐसा नहीं किया पाया गया, फलतः उक्त राशि का वास्तविक व्यय हुआ अथवा नहीं सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय। विपरित परिस्थिति में तदनुसार कारवाई अपेक्षित होगी।

(ग) विकलांग मद में कुल रू0 80,000.00 के उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र को अप्राप्त।

रोकड़ पुस्त एवं संगत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विकलांग मद में विभिन्न प्रखंडों को चेक द्वारा कुल रू0 80,000.00 उपावंटित किया गया था जिसकी विवरणी परिशिष्ट "ड" पर द्रष्टव्य है।

व्ययोपरांत प्रखंड द्वारा इस कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था किंतु ऐसा नहीं किया गया। फलतः उक्त राशि का वास्तविक व्यय हुआ अथवा नहीं सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(घ) माडा योजनान्तर्गत कुल रू0 1,26,34,596.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त :-

रोकड़ पुस्त एवं संगत अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सामुदायिक भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना मद में विभिन्न प्रखंडों एवं कार्यालयों को कुल रू0 1,26,34,596.00 विभिन्न तिथियों को चेक द्वारा उपावंटित किया गया था, जिसकी विवरणी 'ड' पर द्रष्टव्य है।

व्ययो परांत प्रखंड कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना था, किंतु ऐसा नहीं किया पाया गया। इस दिशा में जि० क० पदा० द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई थी। फलतः उक्त राशि का वास्तविक व्यय हुआ अथवा नहीं सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का प्रयास करें।

इस प्रकार प्रखंडों एवं अन्य कार्यालयों को विभिन्न मदों में राशि वितरण हेतु दी गयी थी जो उपकंडिका -

- (क) 36,00,000.00 रु०+(ख)27,60,65,177.00 रु०+(ग) 80,000.00 रु०+(घ) 1,26,34,596.00 रु० = कुल रु०- 29,23,79,773.00 के सम्बन्ध में प्रशासी विभाग को दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा व्यय की वास्तविकता की जाँच कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

भाग - 3

- (22)(क) निजी बैंक में खाता का संधारण - दिनांक 6.8.2013 को स० रो० पु० के अंतः शेष विवरणी की जाँच में पाया गया कि एक्सिस बैंक, कटिहार, जो एक निजी बैंक है उसमें इस कार्यालय का दो खाता संधारित किया गया है जिसका खाता सं० 911010042872209 एवं 912020010387621 है। इन खातों में उक्त तिथि को क्रमशः रु० 3986355.00 एवं 13,42,57,840.00 रु० संधारित दर्शाया गया है। सार्वजनिक (सरकारी) बैंक को छोड़कर एक निजी बैंक में सरकारी राशि का संधारण उचित एवं नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है, जबकि कई सरकारी बैंक मौजूद हैं। इस संबंध में आपत्ति निर्गत करने पर कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया कि सांख्यिक वित्त विभागीय पत्र 1620 दि० 8.7.11 के आलोक में खाता संधारित हुआ है जबकि पत्र की माँग करने पर दिखाया नहीं गया।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता, है कि इसकी जाँचकर तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

- (ख) रोकड़ पुस्त का संधारण नियमानुकूल नहीं पाया जाना :-

इस कार्यालय में सामान्य स्थापना मदों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मदों यथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुसहर जाति छात्रवृत्ति योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, बालिका समृद्धि योजना एवं अत्याचार निवारण योजना में आवंटन पाया गया। नियमतः अलग-अलग मदों के लिए अलग-अलग सहायक रोकड़ पुस्तों का संधारण किया जाना चाहिए। साथ विभिन्न प्रखंडों एवं संस्थानों को भेजी गयी चेक नं० का भी उल्लेख नहीं किया गया जिसकी जाँच में कठिनाई हुई। भविष्य में रोकड़ पुस्त का सही संधारण किये जाने का सुझाव दिया जाता है।

- (ग) भौतिक सत्यापन (रोकड़ का) नहीं किया जाना :-

बिहार कोषागार संहिता 2011 भाग-1 के निगम-176 एवं 177 अनुसार अनावश्यक राशि रोकड़ के संवरण शेष में नहीं रखा जाना चाहिए तथा प्रत्ये माह के अंत में रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का

विस्तृत विवरण मदवार एवं बैंकवार अंकित करते हुए निकासी एवं व्ययन पदा० द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन करते हुए इसके सही होने का आशय रोकड़ का भौतिक सत्यापन करते हुए इसके सही होने का प्रमाण रोकड़ पुस्त पर अंकित किया जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं पाया गया। साथ ही अंकेक्षण प्रारंभण तिथि को बार-बार अनुरोध के बावजूद भी भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया। भविष्य में इसका पालन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाता है।

अ. रंजन
५/११/१५

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का हस्ताक्षर

1. बबन सिंह, व०अं०-२
2. राकेश रंजन श्रीवास्तव, व०अं०-२

परिशिष्ट – “क” कड़िका – 1 “ज” से सम्बंधित।

(क) प्रस्तुत अभिलेख :-

- (1) विपत्र पंजी (वर्ष 09-10 एवं 10-11)
- (2) सामान्य रोकड़ पंजी (वर्ष 09-10 एवं 10-11)
- (3) सहायक रोकड़ पंजी – शीर्ष पूरक पोषाहार एवं भवन निर्माण शीर्ष पिछड़ी जाति गृह निर्माण एवं ऋण रोकड़ पंजी शीर्ष आवासीय विद्यालय स० रो० पंजी, शीर्ष माडा स० रो० पंजी शीर्ष विशेष अंगीभूत योजना, शीर्ष विविध, शीर्ष विकलांग शीर्ष अल्पसंख्यक कल्याण (सभी 09-10 एवं 10-11)
- (4) रेमिटेंस रजिस्टर (वर्ष 09-10 एवं 10-11)
- (5) संयुक्त स्थापना वेतन भुगतान पंजी (वर्ष 09-10 एवं 10-11)
- (6) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम (फरवरी 05 से अद्यतन)
- (7) अग्रिम पंजी (फरवरी 05 से अद्यतन)
- (8) वेतन भुगतान पंजी –
 - (i) आ० उच्च विद्यालय सोनैली (अनु० जाति)
 - (ii) “ “ नीमा (अनु० जनजाति)
 - (iii) अनु०जाति छात्रावास
 - (iv) पिछड़ी जाति छात्रावास
 - (v) अनु० जनजाति छात्रावास
 - (vi) सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (स्थापना)
 - (vii) जूट, सुतली, कताई केन्द्र (स्थापना)
- (9) अभिश्रव पंजी (2000-01 से 31.01.12 तक)

(10) यात्रा भत्ता भुगतान पंजी (स्थापना आ० उच्च विद्यालय

वर्ष – 09–10 एवं 10–11 (दोनो विद्यालय)

(11) बैंक पंजी।

(12) रक्षि संचिका (आ० उ० वि० सौनैली एवं आ० उच्च विद्यालय नीमा के वेतनादि भुगतान से सम्बंधित बैंक एडभाइस)

(13) कार्यालय आकस्मिकता अभिश्रवों की रक्षि संचिका।

(14) आवंटन पंजी।

(15) सेवा पुस्त (आंशिक)

(16) माडा से सम्बंधित । अभिश्रवों की रक्षि संचिका।

(17) आवासीय विद्यालय से सम्बंधित अभिश्रवों की रक्षि संचिका

(18) अन्य छोटे–मोटे मदों में व्यय से सम्बंधित अभिश्रवों की रक्षि संचिका

(19) बैंको के नाम एवं खाता सं० (अंकेक्षण प्रा० तिथि 7.8.2013 को)

- | | | | |
|--------|----------------------------------|---|------------------|
| (i) | भारतीय स्टेट बैंक, कटिहार | – | 10984646314 |
| (ii) | कोशी क्षेत्रीय ग्रा० बैंक, .. | – | 20060000016 |
| (iii) | सेंट्रल बैंक रेलवे कॉलोनी कटिहार | – | 10130 |
| (iv) | सेंट्रल बैंक, कटिहार | – | 29735 |
| (v) | आई०डी०बी०आई०, कटिहार | – | 720104000034663 |
| (vi) | पी०एन०बी०ए०, एम०जी०रोड, कटिहार | – | 2082002100027394 |
| (vii) | दौलत राम चौक | – | 1968002100012037 |
| (viii) | बैंक ऑफ बड़ौदा, कटिहार | – | 29120100007230 |

(ix)	इलाहाबाद बैंक, कटिहार	—	300608
(x)	" " "	—	4744
(xi)	" " "	—	4743
(xii)	एक्सिस बैंक, कटिहार	—	911010042872209
(xiii)	" " "	—	912020010387621
(xiv)	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कटिहार—		14332011000896

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

- (i) माडा योजना से सम्बंधित प्रखंडो को भेजी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ।
- (ii) विकलांग से सम्बंधित प्रखंडो को भेजी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ।
- (iii) विभिन्न प्रखंडो को कब्रिस्तान योजना से सम्बंधित भेजी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र
- (iv) विभिन्न प्रखण्डों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से सम्बंधित भेजी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र
- (v) सेवा पुस्त (आंशिक)
- (vi) भंडार एवं वितरण पंजी डाक टिकट से सम्बंधित ।
- (15) सेवा पुस्त (आंशिक)
- (16) माडा से सम्बंधित अभिश्रवों की रक्षि संचिका
- (17) आवासीय विद्यालय से सम्बंधित अभिश्रवों की रक्षि संचिका
- (18) अन्य छोटे-मोटे मदों में व्यय से सम्बंधित अभिश्रवों की रक्षि संचिका,

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :-

- (i) माडा योजना से सम्बंधित प्रखंडो को भेजी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र
- (ii) विकलांग से सम्बंधित प्रखंडो को भेजी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र
- (iii) विभिन्न प्रखण्डों को कब्रिस्तान योजना सं० सम्बंधित भेजी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र ।
- (iv) विभिन्न प्रखंडो को मुख्यमंत्री कन्या विवाहयो से सम्बंधित भेजी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र ।
- (v) सेवा पुस्त (आंशिक)
- (vi) भंडार एवं वितरण पंजी डाक टिकट से सम्बंधित ।

परिशिष्ट - "ख" कंडिका - 3 (i) से सम्बंधित।

आवंटन एवं व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2009-10

क्र0	शीर्ष	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	कम व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्थापना	वेतन	42,00,000.00	39,33,118.00	—	2,66,882.00	कार्यालय पत्रांक 386 / 31.3. 2010
2.		महंगाई भत्ता	9,52,000.00	9,52,000.00	—	—	—
3.		मकान भाड़ा	3,01,000.00	1,92,082.00	—	1,08,918.00	..
4.		चिकित्सा भत्ता	10,200.00	10,200.00	—	—	—
5.		अन्य भत्ता	2100.00	2100.00	—	—	—
6.		यात्रा व्यय	20,320.00	20,320.00	—	—	—
7.		कार्यालय व्यय	30,000.00	29,999.00	—	1.00	..
8.		वाहन इंधन एवं जीप संधारण	33,335.00	33,335.00	—	—	—
9.		विद्युत प्रभार	20,000.00	—	—	20,000.00	..
10.		वर्दी	1500.00	—	—	1500.00	..
11.		किराया महशूल एवं कर	1,000.00	—	—	1000.00	..
12.	पिछड़ी जाति छात्रावास (स्थापना)	वेतनादि	2,41,890.00	1,99,398.00	—	42,492.00	385 / 31.3. 2010
13.	पिछड़ी जाति	मकान भाड़ा	9420.00	9420.00	—	—	—

	छात्रावास (स्थापना)						
14.		चिकित्सा भत्ता	2400.00	2400.00	—	—	—
15.		अन्य भत्ता	—	—	—	—	—
16.		यात्रा भत्ता	2000.00	2000.00	—	—	—
17.		कार्यालय व्यय	10,000.00	9956.00	—	44.00	385 / 31.3. 10
18.		समग्री एवं पूर्तियों	2,00,000.00	2,00,000.00	—	—	—
19.		विद्युत प्रभार	15,000.00	—	—	15000.00	385 / 31.3. 10
20.		छात्रावास अधीन भत्ता	960.00	960.00	—	—	—
21.		झाडूदार भत्ता	1800.00	1800.00	—	—	—
22.	अनुसूचित जाति छात्रावास (स्थापना)	वेतनादि	7,56,204.00	7,56,204.00	—	6698.00	386 / 31.3. 10
23.		मकान भाड़ा	48,716.00	42,018.00	—	6698.00	386 / 31.3. 10
24.		चिकित्सा भत्ता	7200.00	7096.00	—	104.00	..
25.		यात्रा भत्ता	2000.00	—	—	2000.00	..
26.		कार्यालय व्यय	2000.00	1930.00	—	70.00	..
27.		सामग्री एवं पूर्तियों	20,000.00	19,978.00	—	22.00	..
28.	अनुसूचित जानजाति छात्रावास (स्थापना)	विद्युत प्रभार	20,000.00	—	—	20,000.00	386 / 31.3. 10
29.		किराया, महशूल एवं कर	5,000.00	—	—	5000.00	..

30.	अनुसूचित जाति छात्रावास (स्थापना)	वेतनादि	10,98,144.00	7,35,161.00	—	3,62,983. 00	..
31.		मकान भाड़ा	62,496.00	43,579.00	—	18,917.00	..
32.		चिकित्सा भत्ता	9,600.00	6,516.00	—	3084.00	..
33.		यात्रा भत्ता	3000.00	2750.00	—	250.00	..
34.		कार्यालय व्यय	11,500.00	11,493.00	—	7.00	..
35.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,000.00	79,914.00	—	20,086.00	..
36.		विद्युत प्रभार	70,000.00	—	—	70,000.00	..
37.	सिलाई कटाई सेंटर (स्थापना)	वेतनादि	2,66,600.00	2,64,355.00	—	2,245.00	..
38.		मकान भाड़ा	17,500.00	16,878.00	—	622.00	..
39.		चिकित्सा भत्ता	2500.00	2500.00	—	—	—
40.		अन्य भत्ता	400.00	400.00	—	—	—
41.	जूट की टाट केन्द्र(स्थापना)	वेतनादि	5,20,500.00	5,20,152.00	—	348.00	386 / 31.3. 10
42.		मकान भाड़ा	30,000.00	30,000.00	—	—	—
43.		चिकित्सा भत्ता	2500.00	2329.00	—	171.00	386 / 31.3. 10
44.	अनुजाति आउ वि सोनैली	वेतनादि	36,76,250.00	36,76,247. 00	—	3.00	..
45.		यात्रा भत्ता	16000.00	16,000.00	—	—	—
46.		कार्यालय व्यय	5,600.00	5,600.00	—	—	—
47.		समग्री एवं आपूर्तियाँ	37,49,200.00	36,87,162.00	—	62,038.00	..

48.		वर्दी	2100.00	—	—	2100.00	..
49.		किराया महशूल	10,000.00	—	—	10000.00	..
50.		विद्युत प्रभार	12,000.00	—	—	12000.00	..
51.	अनु०जनजाति आ०उच्च वि० नीमा	वेतनादि	31,84,634.00	27,93,184.00	—	3,91,450.00	391 / 31.3. 10
52.		कार्यालय व्यय	20,600.00	20,600.00	—	—	—
53.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	37,49,200.00	37,43,384.00	—	5816.00	391 / 31.3. 10
54.		यात्रा भत्ता	15500.00	15500.00	—	—	—
55.	अल्पसंख्यक कल्याण	कब्रिस्तान घेराबंदी	1,24,00,000.00	1,24,00,000.00	—	—	—
56.		वैधिक अनुदान	2,000.00	2000.00	—	—	—
57.		अंतरजातीय विवाह अनुदान	2,00,000.00	2,00,000.00	—	—	—
53.		अल्प संख्यकों को बहु क्षेत्रीय विकास योजना	5,36,91,500.00	5,36,91,500.00	—	—	—
54.		विशेष अंगीभूत योजना	1,59,000.00	1,59,000.00	—	—	—
55.	माडा	अनु०जनजाति आयोत्पादक योजना एवं आधार भूत संरचना	1,42,83,000.00	1,42,83,000.00	—	—	—
56.		अनु०जाति एवं अनु० जनजाति अल्याचार निवारण	20,000.00	20,000.00	—	—	—

परिशिष्ट - "ख" कंडिका - 3 (i) से सम्बंधित।

आवंटन एवं व्यय विवरणी, वित्तीय वर्ष - 2010-11

क्र०	शीर्ष	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	कम व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्थापना	वेतनादि	60,50,100.00	49,27,775.00	—	11,22,325.00	460 / 31.3.11
2.		कार्यालय व्यय	27,000.00	5,400.00	—	21,600.00	..
3.		जीप संधारण	40,000.00	8,029.00	—	31,971.00	..
4.		विद्युत प्रभार	20,000.00	—	—	20,000.00	..
5.		वर्दी	1,500.00	—	—	1,500.00	..
6.		किराया महशुल	1,000.00	—	—	1,000.00	..
7.	पिछड़ी जाति छात्रावास	वेतनादि	2,44,767.00	2,43,812.00	—	955.00	456 / 31.3.11
8.		परिवहन भत्ता	328.00	—	—	328.00	..
9.		यात्रा व्यय	2,000.00	—	—	2,000.00	..
10.		कार्यालय व्यय	3,000.00	600.00	—	2,400.00	..
11.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,25,000.00	—	—	1,25,000.00	..
12.		विद्युत प्रभार	10,000.00	—	—	10,000.00	..
13.	अनुसूचित जन जाति छात्रावास (स्थापना)	वेतनादि	4,60,080.00	4,59,381.00	—	699.00	455 / 31.3.11
14.		यात्रा व्यय	2,000.00	—	—	2000.00	..
15.	अनु०जनजाति छात्रावास (स्थापना)	कार्यालय व्यय	2000.00	400.00	—	1600.00	455 / 31.3.11
16.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	20000.00	4000.00	—	16,000.00	..

17.		विद्युत प्रभार	20,000.00	—	—	20,000.00	..
18.		किराया महशूल एवं कर	5,000.00	—	—	5,000.00	..
19.	अनु०जाति छात्रावास (स्थापना)	वेतनादि	9,25,056.00	7,56,710.00	—	1,68,346. 00	..
20.		यात्रा व्यय	4,500.00	—	—	4500.00	..
21.		कार्यालय व्यय	10,000.00	2,000.00	—	8,000.00	..
22.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	80,000.00	—	—	80,000.00	..
23.		विद्युत प्रभार	70,000.00	—	—	70,000.00	..
24.	सिलाई कटार्ड सेंटर (स्थापना)	वेतनादि	3,18,750.00	3,18,472.00	—	278.00	..
25.	जूट की टाट केन्द्र (स्थापना)	वेतनादि	6,17,250.00	6,14,886.00	—	2364.00	..
26.	आवासीय उच्च विद्यालय सोनैली	वेतनादि	38,77,220.00	38,43,675.00	—	33,545.00	457 / 31.3. 11
27.		यात्रा व्यय	15,000.00	3000.00	—	12,000.00	..
28.		कार्यालय व्यय	14,000.00	—	—	14,000.00	..
29.		वर्दी	2,100.00	700.00	—	1400.00	..
30.	आ०उ०वि० सोनैली (स्थापना)	विद्युत प्रभार	12000.00	—	—	12,000.00	457 / 31.3. 11
31.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	43,128.00	27,34,424.00	—	15,78,376. 00	..
32.	आ०उ०वि० बीमा (स्थापना)	वेतनादि	35,20,664.00	34,38,342.00	—	82,322.00	..
33.		यात्रा भत्ता	15,000.00	—	—	15,000.00	..
34.		वर्दी	2,100.00	2100.00	—	—	—
35.		कार्यालय व्यय	14,000.00	—	—	14,000.00	..

36.		विद्युत प्रभार	10,000.00	—	—	10,000.00	„
37.		सामग्री एवं पूर्तियाँ	41,12,800.00	21,65,695.00	—	1947105.00	„
38.	अनु०जाति/अनु० जन जाति	वैधिक सहायता	2,000.00	1,600.00	—	400.00	455 / 31.3. 2011
39.	माडा योजना	आधार भूत संरचना (केवल मनिहारी के लिए)	30,14,000.00	30,14,000.00	—	—	
40.		कौशल विकास कार्यालय लघु सिंचाई से सम्बन्धित आधारभूत संरचना	89,00,000.00	89,00,000.00	—	—	
41.		अनु० जनजाति के बहुमुखी विकास मद	1,06,10,000.00	1,06,10,000.00	—	—	
42.	अनु०जाति एवं अनुजनजाति	अत्याचार राहत	2,00,000.00	75,000.00	—	1,25,000.00	455 / 31.3. 2011
43.		विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माद्वार(ओ०उ०वि० सोनैली)	4,50,000.00	4,50,000.00	—	—	—
44.	अनु०जाति एवं अनु० जनजाति	अत्याचार निवारण हेतु होर्डिंग (प्रचार प्रसार)	6,00,000.00	6,00,000.00	—	—	—
45.		इंदिरा आवास योजना	16,06,50,000.00	16,06,50,000.00	—	—	
46.		सोलर लैटर्न	1,16,16,000.00	1,16,16,000.00	—	—	

47.		सोलर लाइट	4,01,30,000. 00	4,01,30,000. 00	—	—	
48.		आईटी कोषांग की स्थापना	5,93,428.00	1,12,870.00	—	4,80,558. 00	पत्रांक/दि० उपलब्ध नहीं।
49.	अल्प संख्यक	कब्रिस्तान घेराबंदी	4,00,00,000. 00	4,00,00,000. 00	—	—	
50.		अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान	2,00,000.00	2,00,000.00	—	—	—

परिशिष्ट - "ग" कंडिका -5 "ख" से सम्बंधित।

638 गाय एवं 9 जोड़ा बैलों की विस्तृत विवरण :-

क्र० सं०	मुगतान तिथि (रोकड़ बही)	अभिध्रव सं० एवं तिथि	राशि	गाय की सं०	वैलों की सं०	आपूर्तिकर्ता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	29.3.2010	333 / 21.2.10	7600.00	19	—	राकेश कुमार	
2.	"	361 / 7.3.10	10400.00	26	—	विकास कुमार	
3.	12.4.10	363 / 5.4.10	12800.00	32	—	राकेश कुमार	
4.	"	364 / 31.8.10	19200.00	48	—	विकास कुमार	
5.	12.5.10	4829 / 4.4.10	4000.00	10	—	विजय शंकर सिंह	
6.	"	4832 / 4.4.10	5200.00	13	—	" "	
7.	"	4830 / "	2000.00	5	—	" "	
8.	"	4831 / "	2400.00	6	—	" "	
9.	"	369 / 8.4.10	14400.00	36	—	विकास कुमार	
10.	"	368 / 5.4.10	8000.00	20	—	राजेश यादव	
11.	"	367 / 5.4.10	800.00	2	—	विकास कुमार	
12.	7.7.10	376 / 5.7.10	18400.00	46	—	" "	
13.	"	374 / 25.5.10	2000.00	5	—	" "	
14.	"	373 / 20.5.10	800.00	2	—	" "	
	"	" "	1000.00	—	5 जोड़ा	" "	
15.	"	372 / 20.4.10	6800.00	17	—	राकेश कुमार	
			800.00	—	4 जोड़ा	" "	
16.	"	375 / 24.6.10	2400.00	6	—	" "	
17.	16.7.10	377 / 12.7.10	15600.00	39	—	राजेश यादव	
18.	"	378 / 12.7.10	3600.00	9	—	" "	
19.	4.8.2010	382 / 20.7.10	15600.00	39	—	विकास कुमार	

20.	..	381 / ..	8800.00	22	—		
21.	11.8.10	383 / 9.8.10	16000.00	40	—	राकेश कुमार	
22.	16.8.10	384 / 13.8.10	25600.00	64	—	विकास कुमार	
23.	12.10.10	387 / 15.2.10	12800.00	32	—	राजेश यादव	
24.	15.01.11	395 / 7.1.2011	8400.00	21	—	विकास कुमार	
25.	31.01.11	396 / 22.1.11	5600.00	14	—	राजेश यादव	
26.	..	397 / ..	4400.00	11	—		
27.	25.2.11	400 / 18.2.11	13600.00	34	—	विकास कुमार	
28.	13.3.2011	2852 / 13.3.11	4000.00	10	—	राजेश यादव	
29.	13.3.2011	2853 / ..	4000.00	10	—	विकास कुमार	
		कुल योग —	2,57,000.00	638	9 जोड़ा		

परिशिष्ट - "घ" कंडिका - 6 (क) से सम्बंधित

रा० अनु० जन जाति आ० उ० वि० नीमा में दवा मद में भुगतान की गयी राशि की विवरणी :-

क्र० सं०	दिनांक	अभिश्च० सं०	छात्रों के नाम	राशि	अभ्युक्ति
1.	8.4.10	108	बाबू लाल मूर्मू	1138.00	
2.	"	109	बिपिन कुमार	1172.00	
3.	"	110	अरुण कु० मंडल	1138.00	
4.	"	111	नंदन कु० मंडल	921.00	
5.	12.4.10	112	विजय टूडू	1061.00	
6.	"	113	अमित कु० उराँव	1150.00	
7.	"	114	अनुपलाल मंडल	1349.00	
8.	"	115	नवीन कु० मंडल	1402.00	
9.	19.4.10	116	नंद किशोर मंडल	1330.00	
10.	"	117	पंकज कुमार मंडल	1246.00	
11.	"	118	हरिलाल मरांडी	1243.00	
12.	"	119	मनोज कुमार मंडल	1350.00	
13.	24.4.10	120	दीपक कुमार मंडल	1331.00	
14.	"	121	राम विलास मंडल	1437.00	
15.	"	122	जनार्दन मंडल	1358.00	
16.	"	123	साहेब लाल सोरेन	1340.00	
17.	"	124	अमर नाथ मरांडी	1267.00	
18.	30.4.10	125	राजेन्द्र कु० मंडल	1398.00	
19.	"	126	रामदास हेम्ब्रम	1264.00	
20.	10.5.10	139	मिथुन कु० मंडल	1605.00	
21.	8.5.10	140	नंद किशोर मंडल	1272.00	
22.	"	141	विनय मरांडी	1422.00	

23.	6.5.10	142	सूरज कु0 मराडी	2017.00	
24.	..	143	नंदन कुमार मंडल	1312.00	
25.	2.5.10	144	बिपीन कुमार	1470.00	
26.	..	145	अजय मंडल	1541.00	

योग — 34534.00

परिशिष्ट – “ड” कंडिका – 6 (ख) से सम्बंधित

रा० अनु० जाति आ० उ० सोनैली कटिहार में दवा खरीद मद में भुगतान की गयी राशि की विवरणी :-

क्र० सं०	दिनांक	अभिध्रव सं०	छात्रों के नाम	राशि	अभ्युक्ति
1.	4.5.2009	58	अनंत देव कु० राय	564.00	
2.	5.5.2009	59	सोनू कु० रिषी	780.00	
3.	6.5.2009	60	पंचानंद राय	484.00	
4.	7.5.2009	61	दशरथ कु० रिषी	660.00	
5.	8.5.2009	62	रंजन कु० राय	638.00	
6.	9.5.09	63	शंकर कु० राय	1207.00	
7.	11.5.09	64	कैलाश कु० राय	738.00	
8.	12.5.09	65	प्यारे लाल राय	1073.00	
9.	12.5.09	66	कौशल कु० राय	742.00	
10.	13.5.09	67	बबलू कु० राय	1100.00	
11.	14.5.09	68	सन्नी देवल राय	850.00	
12.	15.5.09	69	रोबिन कु० राय	1070.00	
13.	16.5.09	70	प्रभु कु० राय	983.00	
14.	16.5.09	71	अजय हरिजन	875.00	
15.	18.5.09	72	सुमीत भारती	2123.00	
16.	20.5.09	73	मुकेश रविदास	609.00	
17.	21.5.09	74	मांगन कु० राय	807.00	
18.	22.5.09	75	अशोक कु० राय	447.00	
19.	25.5.09	76	राबिन कु० राय	1390.00	
20.	25.5.09	77	दिनेश कु० रिषी	1307.00	
21.	26.5.09	78	बुलेट कु० राय	1324.00	
22.	26.5.09	79	राम प्रसाद राय	940.00	

23.	27.5.09	80	संतोष कु० राय	963.00	
24.	29.5.09	81	मुन्ना प्र० राय	279.00	

योग - 21,953.00

परिशिष्ट – “च” कंडिका – 11 “क” से सम्बंधित।

श्री शंभु नाथ झा, सांख्यिकी सहायक द्वारा दी गयी टी0डी0एस0 (आयकर) की विवरणी वित्तीय वर्ष 2010-11

सकल वेतन — 3,99,448.00

घटाया म0 वि0 भत्ता — (-) 25932.00

3,73,516.00

घटाया धारा 80C के अंतर्गत

अंशदान (-) 1,00,000.00

273516.00

273520.00

कटौती 80C

आयकर —

भविष्य निधि में — 36000.00

श्री झा द्वारा आयकर मद में 11693.00 की

ग्रुप बीमा — 360.00

कटौती दर्शायी गयी है।

एल आई0सी0 — 12260.00

शिक्षा शुल्क — 83,980.00

1,32,600.00

or

1,00,000.00

आयकर

173520.00 पर

160000.00 — शून्य

113520.00 — 11352.00

3% surcharge 341.00

11,693.00

श्री शंभु नाथ झा, सा0 सहायक द्वारा वित्तीय वर्ष — 2010-11 में निम्न आयकर देय होता है :-

सकल वेतन — 3,99,448.00

घटाया म0कि0 भत्ता — 25932.00

3,73,516.00

घटाया धारा 80C के

अंतर्गत अंशदान (—) 48620.00

324896.00

or

3,24,900.00

कटौती 80C

भविष्य निधि में — 36000.00

ग्रुप बीमा — 360.00

एल0 आई0 पी0 — 12260.00 आयकर

48620.00 16985.00

आयकर की गणना

रु0 3,24,900.00 पर

160000.00 — शून्य

164900.00 — 16490.00

3% — 495.00

16,985.00

परिशिष्ट — “छ” कंडिका — 11 “ख” से सम्बंधित।

श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव बी० डब्ल्यू ओ द्वारा दी गयी टी०डी०एस (आयकर) की विवरणी वित्तीय वर्ष 2010—11

सकल वेतन — 1,69,440.00

घटाया म० कि० भत्ता — (—) 5,366.00

1,64,074.00

घटाया धारा 80C के अंतर्गत

अंशदान (—) 13,860.00

कुल आय — 1,50,214.00

या

1,50,220.00

रु० 1,50,220.00 पर आयकर — शून्य।

(पुनः विपत्र सं० 196/10—11 द्वारा निकासी की गयी बकाया वेतन की राशि (जनवरी 07 से दिसम्बर 10 तक)

रु० 1,76,842.00 में से रु० 10,395.00 आयकर के रूप में कटौती की गयी है।)

श्री श्रीवास्तव द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 में निम्न आयकर देय होता है :-

सकल वेतन (टी० डी० एस० के अनुसार) 1,69,440.00

बकाया वेतन जनवरी 07 से दिसम्बर 10 तक

विपत्र सं० 196/10-11 — 1,76,842.00

बकाया वेतन (जून 09 से फरवरी 10 तक)

विपत्र सं० 70/10-11) — 1,04,424.00

4,50,706.00

(-) घटाया म० कि० भत्ता — 5,366.00

4,45,340.00

(-) घटाया धारा 80C में

अंशदान — 13,860.00

कुल आय— 4,31,480.00

आयकर की गणना

रु० 4,31,480.00 पर आयकर

रु० 1,60,000.00 पर — शून्य

बॉकी 2,71,480.00 पर 10% — 27,148.00

रु० 27,148=3% सर चार्ज (+) — 814.00

27,962.00

घटाया अग्रिम आयकर — 10,395.00

विपत्र सं० 196/10-11) आयकर — 17,567.00

परिशिष्ट - "ज" कंडिका - "14" से सम्बंधित।

असमायोजित अस्थायी अग्रिम की विवरणी दि० - 6.8.2013 तक

क्र० सं०	अग्रिमधारियों का नाम	पदना	अग्रिम लने का वर्ष	कार्य का नाम	राशि	अभ्युक्ति
1.	अशोक कुमार मिश्र	स०शि०	87 से 96	छात्रावास संचालन हेतु	227875.00	
2.	अशोक कुमार मंडल	स०शि०	93	छात्रावास संचालन हेतु	205000.00	
3.	विजय कुमार घोष	प्र०क०पदा०	84 से 87	छात्रावास संचालन हेतु	59780.00	
4.	विश्वनाथ राय	चपरासी	86	छात्रवृत्ति वितरण हेतु	450.00	
5.	प्र०वि० कदवा पदा०	—	88	छात्रावास संचालन हेतु	95000.00	
6.	विनय कुमार बख्शी	दक्ष शिल्पी	93-97	छात्रावास संचालन हेतु	6214.62	
7.	विजय कुमार पासवान	रसोईया	95 से 97	छात्रावास संचालन हेतु	6250.00	
8.	दामोदर प्र० यादव	स०शि०	80	मेस० व्यवस्था	56.00	
9.	दीनानाथ झा	स०शि०	83	मेस० व्यवस्था	2741.80	
10.	धीरेन्द्र कुमार सिंह	प्र०क०पदा०	84	यात्रा	150.00	
11.	फागु मिस्त्री	प्र०क०पदा०	87 से 88	छात्रवृत्ति वितरण	14756.00	
12.	गुणेश्वर राम	प्र०क०पदा०	83 से 89	छात्रवृत्ति वितरण	19448.00	
13.	श्रीमती गीता देवी	केन्द्र माता	84 से 86	दूध पिलाने हेतु	592945	
14.	गया प्रसाद यादव	प्र०क०पदा०	85	यात्रा हेतु	600.00	
15.	गणेश प्रसाद यादव	स०शि०	87 से 90	मेष संचालन	170650.00	
16.	हल्दर प्रसाद मंडल	स०शि०	84 से 87	मेष संचालन	143875.00	
17.	कुपाधर प्रसाद मंडल	स०शि०	84	मेष संचालन	1500.00	
18.	कवीन्द्र नारायण सिंह	स०शि०	88 से 89	मेष संचालन	195000.00	
19.	कृष्णचन्द्र ठाकुर	स०शि०	79	मेष संचालन	54612.00	
20.	लालबाबू पासवान	स०शि०	87	मेष संचालन	45000.00	
21.	लक्ष्मी नारायण ठाकुर	स०शि०	93	मेष संचालन	10000.00	
22.	लखन महतो	स०शि०	86	मेष संचालन	161000.00	

23.	महेन्द्र प्रसाद यादव	स०शि०	86 से 92	मेष संचालन	304171.46	
24.	निर्धन पासवान	स०शि०	93 से 94	मेष संचालन	287500.00	
25.	नन्द किशोर पाण्डेय	आ०चि०प०	86	यात्रा हेतु	360.00	
26.	नरेन्द्र लाल दास	स०शि०	94 से 97	मेष संचालन	85687.89	
27.	नगीना पासवान	जीप चालक	95	यात्रा हेतु	1200.00	
28.	राम कैलाश चन्द्र	स०शि०	79	मेष संचालन	72.00	
29.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	स०शि०	30 से 94	मेष संचालन	114643.60	
30.	राजेन्द्र नाथ मंडल	छा० अ०	83 से 85	विविध कार्य	13500.00	
31.	रामाकान्त झा	स०शि०	85	मेष संचालन	232000.00	
32.	सावेश प्रसाद सिंह	स०शि०	86	मेष संचालन	26129.92	
33.	रामानन्द सिंह	स०शि०	86 से 37	मेष संचालन	84806.00	
34.	रामनाथ चौधरी	प्र०क०पदा०	86 से 89	छात्रवृत्ति हेतु	1768.00	
35.	रामकिशोर प्रसाद सिन्हा	प्र०क०पदा०	87	छात्रवृत्ति हेतु	992.00	
36.	रामचन्द्र मंडल	स०शि०	92 से 93	मेष संचालन	22255.00	
37.	एयामल किशोर सिंह	स०शि०	84	मेष संचालन	8000.00	
38.	श्रीनाथ सिंह	स०शि०	80	मेष संचालन	98.00	
39.	सीमाराम मंडल	टंकक	83	यात्रा हेतु	50.00	
40.	शंकर प्रसाद गुप्ता	स०शि०	84	मेष संचालन	12500.00	
41.	सीखी मुसहर	रसोईया	85	पोशाक सिलाई	50.00	
42.	शिवनन्दन यादव	स०शि०	85 से 92	मेष संचालन	105150.00	
43.	सत्य नाराण विश्वास	प्र०अ०	86	योगा हेतु	2000.00	
44.	श्रीकान्त चौधरी	स०शि०	58	मेष संचालन	60.93	
45.	सुनील कुमार मिश्र	प्र०क०पदा०	91	यात्रा	400.00	
46.	सीमाराम प्रसाद	प्र० अ०	84 से 85	मेष संचालन	16300.00	
47.	त्रिवेणी मंडल	स०शि०	86	मेष संचालन	5222.00	
48.	तपेश कुमार मिश्र	जीप चालन	91 से 92	जीप के लिए	1800.00	

49.	टेक्स टेकनिको क्राफ्ट कटिहार	—	92	रिक्शा आपूर्ति	67000.00	
50.	उदित नारायण कंठ	स0शि0	79	मेष संचालन	830.00	
51.	उपेन्द्र मंडल	क0 पर्य0	85	यात्रा	400.00	
52.	योगनारायण राम	संगठक	88 से 91	यात्रा	700.00	
53.	योगेन्द्र प्रसाद साह	स0शि0	86	मेष संचालन	36,000.00	
54.	बिहार टिम्बर इन्डस्ट्रीज कटिहार	—	97	—	175,000.00	
55.	गौरी शंकर राय	जीप चालन	97 से 04	जीप मरम्मती	8,400.00	
56.	संजीव इन्टरप्राइजेज रोशना बाजार कटिहार	—	97	बर्तन आदि कार्य हेतु	50,000.00	
57.	शत्रुधन दास	प्र0क0पदा0	97 से 98	छात्रवृत्ति	27,826.00	
58.	प्रभुदयाल	बुनाई मिस्त्री	2000 से 08	यात्रा	1,000.00	
59.	सीता राम ऋषि	रसोईया	2000 से 12	यात्रा	500.00	
60.	नगेश्वर मिस्त्री	—	2002	जीप मरम्मती	8,000.00	
61.	मो0 कमालुद्धीन	—	2002	जीप मरम्मती	1,500.00	
62.	रतन लाल	प्र0क0पदा0	05 से 06	पोशाक सिलाई	800.00	31,30,5 60.67
63.	सुधीर कुमार	स0शि0	09 से 10	छात्रावास संचालन हेतु	1565615.00	
64.	देवेन्द्र कुमार झा	प्र0क0पदा0	2010	छात्रावास संचालन हेतु	18,298.00	158391 3.00
65.	रामनन्दन साह	स0शि0	2011	छात्रावास संचालन हेतु	1650000.00	
66.	शिव कुमार	आपूर्तिकर्ता	2012	पोशाक संबंधी सामग्री आपूर्ति	150000.00	
67.	रविन्द्र सिंह	पटना लाने हेतु	2012		500.00	
68.	श्यामानन्द सिंह	स0शि0	2012	छात्रावास संचालन	364530.00	

69.	चन्दन कु० पोदार			प्रशिक्षण हेतु	500.00	
70.	प्रसून परिमल	प्र०क०पदा०			492000.00	
71.	अवधेश मंडल	प्र०क०पदा०			340000.00	
73.	अश्विनी कुमार चौबे	प्र०क०पदा०			544000.00	
74.	संतोष कुमार पाण्डे	प्र०क०पदा०			196000.00	
75.	अजीत कुमार सिन्हा	प्र०क०पदा०			236000.00	
76.	सुर्यदेव सिंह	प्र०क०पदा०			832180.00	
77.	मयुर टेलर्स			पोशाक सिलाई	200000.00	
78.	शम्भुनाथ झा	सा०स०			2000.00	50,07,7 10.00

कुल योग — 9722183.67

परिशिष्ट – “झ” कड़िका – “16” से सम्बंधित।

वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में बैंको के बचत खाते से प्राप्त व्याज की राशि :-

क्र० सं०	बैंकों के नाम	खाता सं०	दिनांक	राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कटिहार	1497168277	30.6.09 31.12.09 31.05.10 30.11.10	15995.00 16,275.00 13815.00 <u>16,847.00</u> 62,932.00	62,932.00	
2.	इलाहाबाद बैंक, कटिहार	20963307880	31.08.09 28.2.10 31.8.10 28.2.11	57,692.00 1,66,502.00 61,800.00 <u>58,806.00</u> 3,44,800.00	3,44,800.00	
3.	इलाहाबाद बैंक महात्मा गाँधी पथ, कटिहार	20963213925	31.8.09 28.2.10 31.8.10 28.2.11	11,471.00 11,672.00 11,936.00 <u>11,986.00</u> 47,065.00	47,065.00	

कुल योग — 4,54,797.00

परिशिष्ट – “अ”

कड़िका – 20 से सम्बंधित।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में यात्रा भत्ता मद में भुगतान की गयी राशि 35820/- की विवरणी :-

क्र० सं०	विपत्र सं०	स०रो० पुस्त की तिथि	नाम एवं पदनाम	अवधि	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	97/2009-10	16.01.2010	श्री भूपेन्द्र ना० सिंह स० शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक	मार्च 09 से मई 09	1873.00	
2.	..	..		जुलाई 09	1823.00	
3.	..	..		अगस्त 09 से सितम्बर 09	2100.00	
4.	..	..		अक्टूबर 09	1293.00	
5.	..	..		03 नवम्बर 09 से 19 नवम्बर 09 तक	1645.00	
6.	..	..		21.11.09 से 4.12. 09 तक	1004.00	
7.	135/09-10	..		7.12.09 से 01.01. 2010 तक	1100.00	
8.	..	..		3.01.10 से 28.01. 10 तक	1500.00	
9.	..	..		1.2.10 से 24.2.10 तक	1800.00	
10.	..	..		25.2.10 से 23.3.10 तक	1362.00	
11.	129/09-10	18.03.2010	श्री सरयुग ठाकुर प्रधानाध्यापक	अप्रैल 08 से	2480.00	

			आ0 वि0 सोनैली	जुलाई 08 तक		
12.	"	"	" "	अप्रैल 09 से जुलाई 09 तक	3014.00	
13.	"	"	" "	सितम्बर 09 से फरवरी 10 तक	2322.00	
14.	"	"	श्री चंद्रदेव पासवान, रसोइया	दिसम्बर 09 से फरवरी 10	957.00	
15.	"	"	" "	मार्च 09 से अगस्त 09	1227.00	
16.	130/09-10	18.03.10	श्री रतन लाल, प्रखंड कल्याण पदा0	फरवरी 10	2440.00	
17.	"	"	" शंभूनाथ झा, सांख्यिकी सहा0	मई 09 से फरवरी 10	1000.00	
18.	"	"	" विजय कुमार वर्मा टंकक	8.10.09 से 21.11. 09 तक	1100.00	
19.	"	"	" कामेश्वर सिंह ग्रे- गोला चौकीदार	जनवरी 09 से मार्च 09	1450.00	
20.	"	"	" मंदू परिहार, रसोइया	7.11.09 से 6.8.10 तक	1000.00	
21.	"	"	" चंद्रदेव पासवान रसोइया	सिम्बर 09 से 7.12. 09 तक	1000.00	
22.	"	"	" हरिकांत झा, रसोइया	9.12.09 से 31.12. 09 तक	630.00	
23.	"	"	" "	7.11.09 से 14.11. 09 तक	900.00	
24.	"	"	" प्रभुदयाल, बुनाई मिस्त्री	फरवरी 10	800.00	

योग — 35,820.00

परिशिष्ट - 'ट'

कंडिका - 21 (क) से सम्बंधित।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मद में प्रखण्डों को वितरण हेतु दी गयी, राशि की विवरणी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा :-

(वित्तीय वर्ष - 2009-10 एवं 2010-11)

क्र० सं०	विपत्र सं० एवं वर्ष	रोकड़ पुस्त की तिथि	प्रखण्डों के नाम	चेक सं०	तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	206/08-09	05.06.09	प्र० वि० पदा० डंडखोरा	0191386	5.6.09	1,00,000.00	
2.	"	"	" " " हसनगंज	0191387	"	1,00,000.00	
3.	"	"	" " " फलका	0191389	"	5,00,000.00	
4.	"	"	" " " मनसाही	0191393	"	1,00,000.00	
5.	"	"	" " " प्राणपुर	0191394	"	2,00,000.00	
6.	"	"	" " " बारसोई	0191397	"	2,00,000.00	
7.	"	"	" " " कदवा	0191398	"	4,00,000.00	
8.	"	"	" " " समेली	0191390	"	1,00,000.00	
9.	"	"	" " " मनिहारी	0191395	"	6,00,000.00	
10.	"	"	" " " आजमनगर	0191399	"	3,00,000.00	

11.	206 / 08-09	25.06.09	 अमदाबाद	0191396	..	1,00,000.00	
12.	..	30.06.09	 कोढ़ा	0191388	..	4,00,000.00	
13.	..	01.07.09	 बरारी	0191392	..	2,00,000.00	
14.	..	..	 बलरामपुर	0191400	..	2,00,000.00	
15.	..	22.07.09	 कुर्सेला	0191391	..	1,00,000.00	

कुल योग — 36,00,000.00

परिशिष्ट - "ठ"

कड़िका -23 (ख) से सम्बंधित।

अल्प संख्यक कल्याण मद (कब्रिस्तान घेराबंदी एवं अन्य मद में) में प्रखण्डों को दी गयी राशि की विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत-

क्र०	विपत्र सं०	रोकड़ पुस्त की तिथि	प्रखण्डों के नाम	चेक सं०	तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	142/07-08	9.5.2009	प्रखण्ड विकास पदा० बारसोई	327996	28.3.09	6,12,000.00	
2.	92/08-09	"	जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार	337867	13.4.09	4,50,000.00	
3.	"	"	प्रखण्ड विकास पदा०, मनहारी	337871	9.5.09	4,27,800.00	
4.	92 एवं 151 08-09	16.6.2009	" " आजम नगर	337878	12.6.09	3,33,000.00	
5.	"	"	" " कदवा	337879	12.6.09	5,00,000.00	
6.	"	"	" " मनहारी	337880	"	9,70,000.00	
7.	"	"	" " समेली	337882	"	5,90,000.00	
8.	"	"	" " कोढ़ा	337883	"	5,55,000.00	
9.	"	"	" " फलका	337884	"	5,25,000.00	
10.	151/08-09	25.6.2009	" " अमदाबाद	337881	"	9,60,000.00	

11.	"	14.7.2009	" " कटिहार	337892	14.7.2009	5,81,000.00	
12.	40 / 09-10	11.8.2009	" " कटिहार	337896	11.8.2009	6,00,000.00	
13.	"	"	" " डंडरबोरा	337897	"	6,00,000.00	
14.	"	"	" " बलरामपुर	337898	"	6,00,000.00	
15.	"	"	" " बारसोई	337899	"	9,45,000.00	
16.	151 / 08-09	31.8.2009	" " कदवा	337910	29.8.2009	2,49,400.00	
17.	212 / 03-04 97 एवं 239 / 06-07	22.10.09	प्र० वि० पदा० डंडखोरा	337928	अंकित नहीं	3,96,000.00	
18.	142 / 07-08 151 / 08-09	"	" " प्राणपुर	337929	"	6,00,000.00	
19.	40 / 09-10, 47 / 09-10	"	" " कोठा	337930	"	5,30,000.00	
20.	"	"	" " मनिहारी	337931	"	10,30,000.00	
21.	"	"	" " कदवा	337932	"	16,88,000.00	
22.	"	"	" " आजमनगर	337933	"	11,94,000.00	
23.	151 एवं 196 / 08-09	31.10.09	" " कदवा	337937	31.10.09	3,10,000.00	कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी हेतु
24.	196 / 08-09	24.11.2009	" " मनिहारी	337940	21.11.09	2,53,300.00	" "
25.	196 / 08-09	16.12.2009	" " कटिहार	337943	9.12.09	180700.00	" "

26.		26.12.2009	 कदवा	337947	31.12.09	3,05,000.00	
27.		31.12.2009	 कोढ़ा	337948	26.12.09	4,50,000.00	
28.		8.01.2010	 अमदाबाद	113722	8.01.2010	6,39,600.00	
29.	—	22.01.2010	जिला शिक्षा पदा० कटिहार	342715	22.01.2010	1,26,30,677. 00	केंद्र प्रायोजित मैट्रिक, अल्पसंख्यक स्कालर शिप स्कीय 2008-09 के लिए
30.	100 / 09-10	19.02.2010	प्र० वि० पदा०, कटिहार	113727	15.02.10	1,44,00,000. 00	आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण (अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु)
31.	..	..	 मनिहारी	113728	..	90,00,000.00	
32.	..	..	 बरारी	113729	..	90,00,000.00	
33.	100 / 09-10	19.2.2010	प्र० वि० पदा०, समेली	113730	15.2.2010	3,00,000.00	आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण (अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु)

34.	"	"	" " कुर्सेला	113731	"	15,00,000.00	" "
35.	"	"	" " मनसाही	113732	"	15,00,000.00	" "
36.	"	"	" " बारसोई	113734	"	15,00,000.00	" "
37.	196 / 08-09	"	" " बारसोई	113736	"	4,10,200.00	कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी
38.	100 / 09-10	22.2.2010	" " आजम नगर	113733	"	90,00,000.00	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण
39.	196 / 08-09	"	" " आजम नगर	113735	"	1,22,500.00	कब्रिस्तान घेराबंदी (पक्की)
40.	100 / 09-10	26.2.2010	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार	113740	"	25,63,000.00	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण।
41.	"	"	जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार	113743	"	27,95,000.00	" "
42.	"	"	" शिक्षा पदा०, कटिहार	113744	"	563000.00	—
43.	196 / 08-09	12.3.2010	प्र०वि० पदा० बलरामपुर	113752	12.3.2010	3,93,800.00	कब्रिस्तान घेराबंदी
44.	"	"	" " कोढ़ा	113756	"	3,03,100.00	" "
45.	"	18.3.2010	" " आजमनगर	113753	"	8,14,000.00	" "
46.	"	"	" " प्राणपुर	113754	"	4,99,500.00	" "
47.	"	"	" " कटिहार	113755	"	8,97,300.00	" "

48.	122 / 09-10	29.3.2010	" " फलका	113790	"	10,00,000.00	" "
49.	"	"	" " कदवा	113795	—	6,00,000.00	" "
50.	196 / 08-09	31.3.2010	" " कदवा	113798	30.3.2010	11,23,700.0	" "
51.	"	"	" " कोढा	113799	"	3,71,700.00	" "
52.	122 / 09-10	"	" " कटिहार	113789	29.3.10	5,00,000.00	" "
53.	122 / 09-10	7.4.2010	प्र0वि0 पदा0, मनसाही	113801	30.3.10	4,55,300.00	
54.	"	"	" " प्राणपुर	113791	"	8,00,000.00	
55.	"	"	" " बरारी	113792	"	5,00,000.00	
56.	"	"	" " समेरी	113794	"	5,00,000.00	
57.	"	16.4.2010	" " हसनगंज	113793	29.3.10	5,00,000.00	
58.	196 / 09-10	"	" " हसनगंज	113800	29.3.10	2,37,300.00	
59.	122 / 09-10	30.4.2010	" " बारसोई	0333623	31.3.10	3,87,400.00	
60.	14 / 10-11	31.8.2010	" " मनिहारी	113867	अंकित नहीं	6,86,600.00	कब्रिस्तान घेराबंदी
61.	"	"	" " कदवा	113871	"	1,85,200.00	
62.	"	"	" " अमहाबाद	113872	"	4,96,800.00	
63.	"	"	जिला अभियंता जिला परिषद, कटिहार	113874	"	49,100.00	
64.	"	6.9.2010	प्र0वि0पदा0, फलका	113868	31.8.2010	12,09,400.00	
65.	"	"	" " हसनगंज	113873	"	4,99,800.00	

66.	..	13.10.2010	 प्राणपुर	113869	..	3,99,000.00	
67.	..	25.10.2010	 बारसोई	113870	..	2,50,800.00	
68.	—	29.12.2010	जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार	113922	29.12.2010	11,17,000.00	अल्पसंख्यक M.S.D.P
69.	—	7.01.2011	उप विकास अभ्युक्त सह कार्यपालक पदा० जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कटिहार	113927	7.01.2011	16,06,50,000. 00	
70.	—	22.01.2011	प्र० वि० पदा०, कदवा	113933	22.01.2011	34,600.00	
71.	—	..	 कोढ़ा	113936	22.01.2011	5,00,000.00	
72.	—	28.0.2011	 कदवा	113941	..	12,50,000.00	
73.	—	31.01.2011	 कटिहार	113934	..	4,90,000.00	
74.	—	01.02.2011	 फलका	113937	..	4,00,000.00	
75.	—	..	 हसनगंज	113935	..	4,82,000.00	
76.	—	..	 मनिहारी	113939	..	4,02,000.00	
77.	—	..	 बरारी	113938	..	9,55,000.00	
78.	—	..	 आजमनगर	113942	..	9,40,000.00	
79.	—	..	 अमदावाद	अंकित नहीं	—	13,03,000.00	
80.	—	2.02.2011	 आजमनगर	113949	29.01.2011	5,00,000.00	

81.	—	"	जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार	113950	"	19,30,000.00	
82.	—	"	प्र० वि० पदा० बरारी	113952	"	4,00,000.00	
83.	—	"	" " मनहारी	113953	"	3,00,000.00	
84.	—	"	" " समेली	113954	"	4,00,000.00	
85.	—	22.2.2011	" " कदवा	114049	21.2.2011	5,00,000.00	
86.	—	"	" " डंडखोरा	114047	19.2.2011	3,97,700.00	
87.	—	"	" " प्राणपुर	114046	"	8,00,200.00	
88.	—	"	" " कटिहार	114052	"	4,78,400.00	
89.	—	"	जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार	114051	22.2.2011	21,00,000.00	
90.	—	31.3.2011	प्र० वि० पदा०, कटिहार	114077	31.3.2011	5,27,700.00	
91.	—	"	" " फलका	114078	"	14,15,800.00	
92.	—	"	" " कदवा	114079	"	7,73,800.00	
93.	—	"	" " प्राणपुर	114080	"	9,99,000.00	
कुल योग —						27,60,65,177.00	

(विकलांग)

परिशिष्ट - "ड" कंडिका - 21 (ग) से सम्बंधित।

विकलांग मद में प्रखण्डों को दी गयी राशि (वितरण हेतु) की विवरणी, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा :-

क्र०सं०	विपत्र सं०	रोकड़ पुस्त की तिथि	प्रखंडों के नाम	चेक संख्या	तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1.	127 / 08-09	31.07.2009	प्रखंड विकास पदा०, कटिहार	016113	31.07.09	25,000.00	
2.	"	"	" " समेली	016114	"	25,000.00	
3.	"	"	" " मनिहारी	016115	"	30,000.00	

कुल योग - 80,000.00

परिशिष्ट - "ढ" कंडिका - 21 (ठ) से सम्बंधित।

माडा भोजनान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों एवं कार्यालयों को दी गयी राशि की विवरणी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा :-

क्र० सं०	विपत्र सं०	रोकड़ पुस्त में दर्ज तिथि	प्रखण्डों एवं कार्यालयों के नाम	चेक सं०	तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	159/08-09	16.06.2009	प्रखण्ड विकास पदा० डंडखोरा	337887	16.6.09	6,00,000.00	सामुदायिक भवन निर्माण।
2.	159/..	30.06.2009	 कटिहार	337885	..	8,00,000.00	
3.	..	..	 कोढ़ा	337888	..	6,00,000.00	
4.	..	6.07.2009	 हसनगंज	337886	..	6,00,000.00	
5.	125/07-08	14.9.2009	कार्य० अभियंता, ग्रा० कार्य० वि० प्र०-1	658746	अंकित नहीं	1,01,000.00	सामुदायिक भवन निर्माण
6.	..	..	कार्य० अभियंता, ग्रा० कार्य० वि०, कार्या० प्र०-2	658747	..	30,100.00	
7.	212/08-09	22.9.2009	प्रखंड विकास पदा०, मनिहारी	337917	..	3,76,000.00	
8.	..	..	 कोढ़ा	337918	..	3,43,000.00	
9.	..	..	 फलका	337919	..	1,68,000.00	
10.	..	..	 डंडरवोरा	337920	..	57600.00	

11.	159 / 08-09	31.12.2009	" " कोढ़ा	337941	26.12.2009	2,00,000.00	" "
12.	125 / 07-08	30.01.2010	कार्य० अभि० ग्रा० कार्य वि० कार्य प्रमंडल-2	342716	22.01.2010	3,00,900.00	स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण हेतु भवन निर्माण।
13.	125 / 07-08	19.02.2010	प्रखंड वि० पदा० अमदाबाद	113737	अंकित नहीं	1,50,450.000	सामुदायिक भवन निर्माण।
14.	"	"	" " फलका	113738	"	150450.00	" "
15.	262 / 06-07	"	" " बरारी	113739	"	1,80,000.00	" "
16.	212 / 08-09	29.3.2010	प्रखण्ड विकास पदा०, प्राणपुर	113778	29.3.10	1,71,800.00	
17.	"	"	" " बारसोई	113780	"	27,800.00	
18.	"	"	" " कहवा	113782	"	2,30,500.00	
19.	"	"	" " कोढ़ा	113783	"	32,846.00	
20.	"	31.3.2010	" " कटिहार	113777	"	1,90,300.00	सामुदायिक भवन निर्माण
21.	"	"	" " अमदावाद	अंकित नही	अंकित नहीं	2,57,900.00	" "
22.	"	"	" " कटिहार	113797	29.3.10	2,00,000.00	" "
23.	"	07.04.2010	" " आजमनगर	113781	29.3.10	1,83,000.00	चबुतरा एवं चापाकल नि०

24.	121 / 09-10	12.05.2010	" " कटिहार	113817	12.5.10	2,37,700.00	अनु० जनजाति के आर्थिक विकास हेतु आयोत्पादक योजना एवं आधारभूत संरचना
25.	"	"	" " बारसोई	113819	"	35,000.00	" "
26.	"	"	" " प्राणपुर	113821	"	2,33,000.00	" "
27.	"	"	" " कदवा	113822	"	1,48,800.00	" "
28.	"	"	" " कोढ़ा	113829	"	4,57,600.00	" "
29.	"	"	" " मनिहारी	113826	"	4,75,800.00	" "
30.	159 / 08-09	"	" " कटिहार	113827	"	1,00,000.00	—
31.	212 / ..	"	" " हसनगंज	113816	"	1,38,500.00	—
32.	"	"	" " हसनगंज	113820	"	148000.00	—
33.	212 / 08-09	26.5.10	प्रखंड विकास पदा०, समेली	113815	12.5.10	25,000.00	
34.	121 / 09-10	"	" " फलका	113818	"	3,00,000.00	
35.	"	"	" " समेली	113824	"	30,000.00	
36.	"	31.5.2010	" " अमदाबाद	113823	"	3,15,800.00	
37.	"	10.6.2010	" " डंडखोरा	113839	10.6.10	2,22,000.00	
38.	"	"	" " मनिहारी	113840	"	65,400.00	
39.	"	7.7.2010	" " मनिहारी	113848	7.7.2010	9,08,100.00	

40.	"	"	" " आजमनगर	113849	"	2,46,100.00	
41.	125/07-08	16.7.10	कार्य० अभि० ग्र० कार्य० वि० कार्य० प्र०-2 कटिहार	113843	30.6.2010	87,600.00	
42.	212/08-09	"	प्रखंड विकास पदा०, मनसाही	113844	"	1,49,200.00	
43.	121/09-10	"	" " मनसाही	113845	"	87,350.00	
44.	145/09-10	"	" " बरारी	113893	16.9.2010	2,79,000.00	
45.	262/06-07	"	" " मनिहारी	113896	22.9.2010	1,20,000.00	
46.	125/07-08	15.01.2011	कार्य० अभि० ग्र० कार्य० वि० प्रमंडल-2 कटिहार	113929	15.1.2011	1,50,450.00	
47.	159/08-09	22.01.2011	प्रखंड विकास पदा०, हसनगंज	113943	22.01.2011	3,00,000.00	
48.	"	"	" " बरारी	113944	"	1,15,200.00	
49.	अंकित नहीं	19.2.2011	जिला अभियंता, जिला परिषद, कटिहार	114045	19.2.2011	4,50,000.00	
50.	"	"	प्रखंड विकास पदा०, मनिहारी	114044	"	4,50,000.00	
51.	"	10.3.2011	" " मनहारी	114061	7.3.2011	87,350.00	
52.	"	31.3.2011	" " डंडखोरा	114081	31.3.2011	2,00,000.00	
53.	"	" "	" " डंडखोरा	114082	"	1,20,000.00	

कुल योग — 1,26,34,596.00